# सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# विभागीय लोक सूचना मैनुअल

उत्तरांचल शासन

## जिला उद्यान अधिकारी,
## पिथौरागढ़।

निदेशालय,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तराखण्ड,

का

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005,

कार्यालय–जिला उद्यान अधिकारी,

जनपद–पिथौरागढ़।

# अनुक्रमणकिका ( INDEX)

## सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005


| क्र0 सं0 | मैनुअल संख्या | मैनुअल का विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | मैनुअल – 1 | संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य | 01–07 |
| 2 | मैनुअल – 2 | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य | 08–13 |
| 3 | मैनुअल – 3 | लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना | 14–16 |
| 4 | मैनुअल – 4 | नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना | 17–19 |
| 5 | मैनुअल – 5 | दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो के अनुसार | 20–22 |
| 6 | मैनुअल – 6 | बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच | 23–24 |
| 7 | मैनुअल – 7 | लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदना आर विशिष्टियॉ | 25–28 |
| 8 | मैनुअल – 8 | निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित) | 29–31 |
| 9 | मैनुअल – 9 | अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका | 32–34 |
| 10 | मैनुअल – 10 | अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति | 35–37 |
| 11 | मैनुअल – 11 | अभिकरण को आवंटित बजट (योजनाओं,व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना) | 38–41 |
| 12 | मैनुअल – 12 | अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थी के ब्यौरे सम्मिलित हैं | 42–51 |
| 13 | मैनुअल – 13 | रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में विवरण | 52–56 |
| 14 | मैनुअल – 14 | कृत्यों निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम | 57–64 |
| 15 | मैनुअल – 15 | इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों | 65–66 |
| 16 | मैनुअल – 16 | सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष में यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका विवरण | 67–69 |
| 17 | मैनुअल – 17 | अन्य उपयोगी सूचनाऐं आदि | 70–78 |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 1

## संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कर्तव्य

(The Particulars of its Organization, Function and Duties)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकरी, पिथौरागढ़
# के
# संगठन की विशिष्टियॉ , कृत्य और कर्तव्य
# ( The particulars of its organization,functions and duties )

1– विभाग का उद्देश्य :–

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का मुख्य उद्देश्य यह है कि सभी लोक प्राधिकारी जन साधारण की रूची से संबंधित को स्वतः ही अग्रिम रूप से प्रकट कर दें, ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने की आवश्यकता न्यूनतम हो जाय।

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यवरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्वति स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे सम्बन्धित आनुशंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है।

उद्देश्य यह भी है कि दूरस्थ स्थानों से यदि जन साधारण लोक सूचना अधिकारी से संपर्क नहीं कर पाते हैं तो सहायक लोक सूचना अधिकारी निकटतम स्थान पर उपलब्ध हो, ताकि उनके माध्यम से जन साधारण को सूचना प्राप्त हो सके।

इस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम –2005 के लागू हो जाने पर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिल जायेगा।

विभाग में जो भी कार्य किये जा रहे हैं उन कार्यो को पारदर्शिता लाने हेतु जनाधिकार अधिनियम के अधीन कृषकों तथा सम्बन्धितों को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराकर कार्यों की सही स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराना।

1) औद्यानिक फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में क्षेत्र विस्तार, पुराने अनुत्पादक उद्यानों का जीर्णोद्धार तथा नई तकनीकि को आत्मसात कर उत्पादकता में गुणात्मक वृद्वि ।
2) औद्यानिक फसलों का सघनीकरण एवं फसल चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं निवेश पर अधिक लाभ पहुॅचाना ।
3) आवश्यक निवेशों की संस्तुति के अनुसार सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग करना ।
4) फल सब्जी प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी खाद्य संरक्षण मशरूम तथा मौनपालन में प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना ।
5) प्रयोज्य शोध परिणामों को जन साधारण तक पहुॅचाना तथा बागवानी संम्बन्धी समस्याओं का समाधान ढूॅढना ।

2) विभाग का मिशन :–

1) औद्यानिक फसल– फल, शाकभाजी , मसाला , आलू एवं अलंकृत बागवानी के लिए उन्नत , रोग–रहित, प्रमाणित रोपण सामग्री , पौध , बीज आदि कृषकों / उद्यानपतियों को उपलब्ध कराना ।
2) फल–पट्टी की स्थापना एवं उनका सर्वांगीण विकास करना ।

3) औद्यानिक फसलों की खेती, बागों का रेखांकन, कीट व्याधि के बचाव सम्बन्धी नवीनतम तकनीकि को स्थल विशेष पर उपलब्ध कराकर कृषक/उद्यानपतियों को सहयोग प्रदान करना

4) सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर फल– सब्जी संरक्षण कार्य के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर आयोजन कर औद्यानिक उपजों के प्रसंस्करण को घरेलू स्तर पर बढ़ाना ।

5) मौन पालन तथा मशरूम की खेती के प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन एवं उत्पादन में वृद्धि करना।

6) खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर फल संरक्षण, कुकरी बेकरी आदि में अल्प एवं दीर्घ कालिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार एवं प्रसंस्करण इकाईयों हेतु कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना ।

7) औद्यानिक फसलों की खेती हेतु कृषकों/उद्यानपतियों को अनुदान उपलब्ध कराना

8) केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस निर्माण, फलों के क्षेत्र विस्तार , छोटे स्तर पर पौधशाला की स्थापना आदि कार्यक्रमों पर विभाग के माध्यम से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराना।

9) कृषकों को उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु हाई टैंक नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना करना ।

10) रोग व्याधि एवं कीटों से बचाव के लिए डिजिज फोर कास्टिंग यूनिट की स्थापना करना ।

11) योजनाओं की पूर्ण जानकारी कृषकों तक पहुॅचाना ।

12) कृषकों तथा अन्य स्तर से चाही गयी सूचनाओं को नियमानुसार उनके मॉगे जाने पर उनको उपलब्ध कराना ।

13) विभाग द्वारा राजसहायता की योजनाऐं तथा अन्य सहायता की योजनाओं की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराना।

14) किये गये कार्यो की पारदर्शिता लाना ।

15) भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार तथा उनके प्रकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाना

3) कर्तव्य :–

- ❖ उन्नत किस्मों की रोपण सामग्री का उत्पाादन, सामयिक व्यवस्था एवं कृषकों को वितरण करवाना
- ❖ नवीनतम तकनीकियों का कृषकों में प्रसारण के माध्यम से दक्षता विकास करवाना ।
- ❖ औद्यानिक उपजों का सामुदायिक प्रसंस्करण कार्य ।
- ❖ प्रसंस्करण की विधाओं में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक (रोजगारपरक) प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- ❖ मशरूम उत्पादन को प्रोत्साहित करना ।
- ❖ औद्यानिक उपजों में उत्पादन, उत्पादकता वृद्धि एवं अतिरिक्त आय सृजन हेतु मौन पालन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना ।

4) मुख्य कृत्य :–

मुख्य कृत्य निम्नवत् है –

- जनपद में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास करना ।
- आलू विकास करना।
- फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण को क्रियान्वित करना ।
- उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पटिट्यों का विकास करना।
- चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण देना ।
- सेवारत कर्मचारियों को औद्यानिक प्रशिक्षण देना ।
- अलंकृत बागवानी का विकास करना ।
- चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटिट्यों का समन्वित विकास करना ।
- मशाला एवं शाकभाजी विकास करना ।
- मधुमक्खी पालन का विकास करना ।
- मशाला की खेती का विकास करना ।
- बेमौसमी सब्जी उत्पादन करना ।
- सत्ताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण करना ।

<u>जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ कार्यालय की स्थापना :–</u>

जनपद पिथौरागढ़ उत्तरांचल के 13 जनपदों में प्रदेश एवं देश के उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र में स्थित है। जनपद का सृजन वर्ष 1960 में हुआ था । इस जनपद में 8 विकास खण्ड एवं 6 तहसीलें हैं । जनपद की सीमायें चीन एवं नेपाल देश से लगी हुई हैं , जनपद के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रेणियां पूर्व में नेपाल देश दक्षिण–पश्चिम में जनपद अल्मोड़ा ,चम्पावत एवं बागेश्वर की सीमायें लगी हुई हैं तथा इस क्षेत्र में घाटी व 6500 फिट की ऊॅचाई तक के क्षेत्र हैं।

जनपद की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु में विभिन्न प्रजातियों एवं फलों यथा सेव , आडू , खुमानी , प्लम , नाशपाती , अखरोट , बादाम , आम , अंगूर , लीची , सन्तरा , माल्टा एवं कागजी नीबू आदि के साथ–साथ विभिन्न प्रकार की सब्जियां यथा गोभी, आलू, मटर, मूली, टमाटर, प्याज आदि एवं विभिन्न प्रकार के पुष्प मशाले तथा जड़ी–बूटियों के उत्पादन हेतु अत्यन्त उपर्युक्त हैं ।

इन सभी औद्यानिक कार्यो के जनपद मुख्यालय से ग्राम पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ।

4) जनपद में प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

विवरण निम्नवत है :–

- ❖ औद्यानिक फसल– फल,शाक भाजी, मसाला, आलू एवं अलंकृत बागवानी के लिए उन्नत, रोग सहित, प्रमाणित रोपण सामग्री, पौध, बीज आदि कृषकों/ उद्यानपतियों को उपलब्ध कराना ।
- ❖ फल–पट्टी की स्थापना एवं उनका सर्वांगीण विकास करना ।
- ❖ औद्यानिक फसलों की खेती, बागों का रेखांकन, कीट व्याधि के बचाव सम्बन्धी नवीनतम तकनीकी को स्थल विशेष पर उपलब्ध करा कर कृषक/उद्यानपतियों को सहयोग प्रदाना करना
- ❖ सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर फल–सब्जी संरक्षण कार्य के साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर औद्यानिक उपजों के प्रसंस्करण को घरेलू स्तर पर बढ़ाना ।
- ❖ मौन पालन तथा मशरूम की खेती के प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराकर रोजगार सृजन एवं उत्पादन में वृद्धि करना।
- ❖ खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर फल संरक्षण, कुकरी बेकरी आदि में अल्प एवं दीर्घ कालिक प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार एवं प्रसंस्करण इकाईयों हेतु कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराना ।
- ❖ औद्यानिक फसलों की खेती हेतु कृषकों/उद्यानपतियों को अनुदान उपलब्ध कराना।
- ❖ केन्द्रपोषित योजनाओं के अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई, ग्रीन हाउस निर्माण, फलों के क्षेत्र विस्तार , छोटे स्तर पर पौधशाला की स्थापना आदि कार्यक्रमों पर विभाग के माध्यम से अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराना।
- ❖ कृषकों को कृषकों को उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध कराने हेतु हाई टैंक नर्सरी, टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना कराना ।
- ❖ रोग व्याधि एवं कीटों से बचाव के लिए डिजिज फोर कास्टिंग यूनिट की स्थापना करना ।
- ❖ योजनाओं की पूर्ण जानकारी कृषकों तक पहुॅचाना ।

5) जनपद स्तर पर संगठनात्मक ढॉचा :–

जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ उत्तरांचल के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के कार्य एवं दायित्व का मुख्यालय एवं विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक ढॉचा :–

जिला उद्यान अधिकारी — प्रशासनिक/वित्तीय नियंत्रण कार्य, औद्यानिक विकास एवं उत्पादन से सम्बन्धी समस्त कार्यो का संपादन, समस्त औद्यानिक फल सब्जी योजना का सुचारू रूप से संचालन, अपने अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन, भत्तों का आहरण, जनपद के विशेष वर्गों के लिये योजनाओं का निर्माण करना, अधिनस्थ इकाईओं सम्बन्धी आय–व्ययक को तैयार करवाना आदि ।

4 विकास खण्ड स्तर :–

| | |
|---|---|
| प्रभारी, सहायक प्रभारी | सामुदायिक फल संरक्षण के अल्पाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना, अल्प मात्रा |
| सामुदायिक फल संरक्षण | में उपभोक्ताओं की सामग्री तैयार करने के उपरान्त वितरण करना। फल सम्बन्धी |
| केन्द्र | तकनीकी ज्ञान उपभोक्ताओं को प्रदान करना, जिससे वे स्वयं फलों तथा सब्जी से बनने वाले सामग्री को स्वयं तैयार कर सकें। |
| सहायक विकास अधिकारी | कृषकों को उनके मांगानुसार फल पौध, सब्जी बीज, मसाला, आलू फूल आदि |
| (उद्यान)/प्रभारी/उद्यान सचल | विभागीय निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराना, पौध सुरक्षा कार्य, निःशुल्क कटाई |
| दल/राजकीयपौधालय/प्रक्षेत्र/ | छटाई, बडिंग, ग्राफ्टिंग / रेखांकन औद्यानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, |
| उद्यान | कास्तकारों को उनकी समस्याओं का निदान करना तथा निवेशोंसम्बन्धी पंजिकाओं का रख–रख्साव आदि कार्य । |
| विशेषज्ञ उद्यान | खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में कार्यरत, उद्यान सम्बन्धी समस्त कार्यों का समंवय विकास खण्ड तथा सम्बन्धित जिला उद्यान अधिकारी के मध्य स्थापित करते हैं। |

6) विभाग की कार्य दक्षता बढ़ाने हेतु जन सहायोग की अपेक्षाऐं :–

- ❖ जन सहायोग की अपेक्षाऐं बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय फल, सब्जी, एवं पुष्प उत्पादकों का चयन करना उचित होगा ।
- ❖ बागवानों की समस्याओं का निराकरण यथा समय प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करना ।
- ❖ जनता द्वारा विभाग से उच्च कोटि के नवीनतम तथा उत्कृष्ट किस्म के सब्जी बीज, सब्जी पौध एवं फलदान पौधों की मॉग के अनुरूप आपूर्ति की व्यवस्था समयानुसार सुनिश्चित करना ।
- ❖ उद्यानीकरण कार्यक्रमों को इतना अधिक जनता में लोकप्रिय बना दिया जाये कि यह एक व्यवसाय के रूप में विकसित होने लगें।
- ❖ विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन में जन सहयोग की सहभागिता इतनी अधिक हो कि जन–जन तक इसका प्रचार प्रसार हो सकें ।

7) जन सहयोग सुनिश्चित करने की विधि/व्यवस्था

- ❖ जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर निवेशों का वितरण, लाभार्थी चयन आदि सम्पन्न कराना ।विभागीय प्रशिक्षणों में जनसहभागिता का होना ।
- ❖ विभागीय प्रदर्शनों में भी जनसहभागिता का होना ।

- ❖ विभाग द्वारा अनुदान एवं राजसहायता की योजना की विस्तृत जानकारी दिलाना ।
- ❖ जनता को समस्त राजसहायता पर निवेशों आदि की आपूर्ति भी सुनिश्चित करना ।
- ❖ जनसहयोग अधिकाधिक प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी।

8) जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था :–

- ❖ जिला स्तर पर : जिला उद्यान अधिकारी
- ❖ ब्लाक स्तर पर : विशेषज्ञ उद्यान (वर्ग–2)
- ❖ सचल दल स्तर पर : प्रभारी उद्यान सचल दल

जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार
लोक सूचना अधिकारियों की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त स्तर पर शिकायता का निराकरण न होने पर निम्नानुसार अपील की जा सकती है।

- ❖ प्रथम अपील (विभागीय स्तर) : लोक सूचना अधिकारी से उच्च स्तर के विभागीय अधिकारी 30 दिन के अन्दर अपील की सुनवाई करेंगे,
- ❖ द्वितीय अपील (विभाग से स्वतंत्र स्तर पर) : केन्द्र या राज्य सूचना आयोग 90 दिन के अन्दर सुनवाई करेगा।

9) मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

- o जिला स्तर : कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी,
- o ब्लाक स्तर : विशेषज्ञ उद्यान (वर्ग–2), समस्त विकास खण्ड, पिथौरागढ़
- o सचल दल स्तर : प्रभारी उद्यान सचल दल, समस्त विकास खण्ड, पिथौरागढ़

10) कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय

कार्यालय खुलने का समय – प्रातः 10.00 बजे
कार्यालय बन्द होने का समय– सायं 05.00 बजे

नर्सरी/पौधालयों का खुलने का समय – प्रातः 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे

नर्सरी/पौधालयों का खुलने का समय – दोपहर 1.00 बजे से सायं 12.00 बजे

सूचना काअधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 2

## अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

(The Powers and Duties of its Officers and employees)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ

# के

# अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य

# (The powers and duties of officers and employees)

1. संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकार राज्यपाल में निहित हैं और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे।

2. संविधान के अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत और उसके उपबंधों के अधीन रहते हुए शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को कुछ सीमा तक और ऐसे प्रतिबंधें के साथ–साथ जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझें अथवा जो संविधान या शासन के नियम अथवा आदेशों या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के उपबंधों द्वारा पहले से लगाये गये हों, प्रतिनिहित किये जा सकते हैं। अतः राज्य के वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन विभागाध्यक्ष को निम्नानुसार प्रदत्त है।

3. वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग–1 के पैरा 19 के अनुसार कार्यालयाध्यक्ष को निम्न अधिकार प्रदत्त हैं।

1– उनके अपने कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकाएं नक्शे तथा अन्य प्रकाशन खरीदने का अधिकार। एक वर्ष में 1200 रू0 तक (समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं पर तकनीकी पंजिकाओं को छोड़कर ) शा0 सं0 2.2629/दस 84 दि0 1.1.1985

2– मुद्रण सम्बन्धी व्यय निदेशक मुद्रण तथा लेखन सामग्री से पूर्व परामर्श किये बिना निजि मुद्रणालयों से पंजीकृत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक फार्म जैसे नक्शे नोटिस आदि का मुद्रण करना :– प्रत्येक मामले में रू0 5000 तक। शा.सं. 13–3657/दस–84–14–73. दि0 12.06.84 से प्रतिबन्धों के अनुसार।

3– संदर्भ पुस्तकें व शुद्धि पत्र उनके अपने कार्यालयों में तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों में प्रयोग के लिए राजकीय मुद्रणालय से सीधे प्राप्त करना, कुछ शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार ।

4– शा0सं0 2177/एन/10–7–94–15/एस.पी./92 दिनांक 17 अक्टूबर, 94 के अनुसार रू0 बीस हजार तक लेखन सामग्री क्रय किये जाने का अधिकार है।

4. शक्तियॉ एवं कर्तव्य :– प्रशासकीय

विभागीय कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रमुख रूप से प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियॉ / अधिकार प्रतिनिधायन किये गये हैं ।

1. कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर –

यह अधिकार वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 3/2–4/ सी.सी.ए. रूल व अन्य के अधीन विभागाध्यक्ष/कार्यालय को प्रदत्त है। विभाग के अधीन कार्यालयाध्यक्ष के रूप में समस्त जिला उद्यान अधिकारी, कार्यरत हैं। जिनको उपरोक्तानुसार अधिकार नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये गये हैं। जिनका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है।

5. शक्तियॉ एवं कर्तव्य :– वित्तीय

कार्यालयाध्यक्ष के वित्तीय अधिकार

| क्र0 सं0 | अधिकार का प्रकार | परिसीमाऐं | प्राधिकार (समय–समय पर संशोधनानुसार) |
|---|---|---|---|
| शक्तियॉ :– | | | |
| 1 | निदेशक,मुद्रण तथा लेखन सामग्री से पूर्ण परामर्श किये बिना निजी मुद्रणालयों से पंजीकृत /अपंजीकृत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्य (जैसे नक्शे/नोटिस आदि) का मुद्रण | प्रत्येक मामले में रू0 1000 तक (इस अधिकार का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जायेगा) | शास0 सं0 ए–2–3657/दस–84–14(1)/73, दिनांक 12 जून,1984 तथा प्रिटिंग एंड स्टेशनरी मैनुअल का पैरा 12 |
| 2 | अवर कर्मचारियों को वर्दी (लिवरी) तथा गर्म कपड़ों की पूर्ति स्वीकृत करना | पूर्ण अधिकार, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डरों के परिशिष्ट –16 में दी हुई शर्तों के अधीन | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का परिशिष्ट –10 |
| 3 | नगर पालिका/नगरमहापालिका अथवा कैन्टोंमेंट करों तथा बिजली और पानी सम्बन्धित व्यय का भुगतान स्वीकृत करना | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के पैरा 165 में दी हुई शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के पैरा 165 |
| 4 | सामान्य प्रकार के प्रासंगिक व्यय, जिसके लिए अन्यत्र कोई विशिष्ट प्रतिनिधायन नहीं किया गया हो, स्वीकृत करना | आवर्तक – प्रत्येक मामले में रू0 1000 तक अनावर्तक – प्रत्येक मामले में रू0 500 तक | शासनादेश सं0 ए–2–1637/दस– 14(1)– 75, दिनांक 26 जून,1975 |
| 5 | विलम्बशुल्क (हैमरेज/वारफेज चार्जेज) पर व्यय स्वीकृत करना | आकस्मिक व्यय स्वीकृत करने के सामान्य अधिकारों की सीमा तक परन्तु रू0 1000 से अधिक के प्रत्येक मामले में प्रशासनिक विभाग को सूचित करना होगा | शासनादेशसं0 ए–2–1637 /दस–14(1)–75, दिनांक 26 जून, 1975 |
| 6 | उनके स्वयं के कार्यालयों के लिए तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिए लेखन सामग्री तथा रबर स्टेम्पों की स्थानीय खरीद स्वीकृत करना | एक बार में रू0 20000 तक | शा0सं0 3639 पी. एस. /18–8–90–21(2) पी.एस. –90, दिनांक 15 दिसम्बर,1990 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | निम्न प्रासंगिक मदों पर व्यय स्वीकृत करना , गर्मी तथा सर्दी के मौसम से सम्बन्धित खर्चे, रेलवे भाड़ा, विद्युत व्यय, सरकारी गाड़ियों का चालान व्यय, कार्यालय के उपयोग के लिए ईधन, कर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से लिए गये भवन का किरायाा, धुलाई व्यय, साईकिल, टाइपराइटर की मरम्मत, जिल्दबंदी अभिलेख तथा धन के ले जाने पर व्यय | सम्बन्धित नियमों तथा प्रक्रिया आदि का पालन करते हुए व्यय स्वीकृत करना– पूर्ण अधिकार | शा0सं0 ए–1–4445 / दस–10 (29) 1964,दिनांक 15 दिसम्बर 1990 तथा शास0 सं0 ए–1–147 / दस–10 (29)64, दिनांक 19 अप्रैल 1969 |
| 8 | छोटे निर्माण कार्यो (पेटी वर्क्स) के निष्पादन तथा सभी प्रकार की मरम्मत के लिए टैंडर / ठेके स्वीकार करना । | (कार्यालयाध्यक्ष / लोक आफिसर द्वारा ) प्रत्येक मामले में रू0 50000 तक किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये गये हों | वित्तीय नियम संग्रह–5, भाग–1 के पैरा 264 तथा शासनादेश संख्या ए–2 / 667–24 (18)–85, दिनांक 19 अक्टूबर 1995 |
| 9 | आपातकालीन / आपवादिक / तात्कालिक अतिरिक्त आवश्यकताओं / असाधारण मांग को पूरा करने के लिए जब वस्तु सार्वजनिक सेवा में गंभीर असुविधा हो रही हो तो, भारत अथवा विदेशों में निर्मित (दोनों प्रकार की) वस्तुओं का भारत में क्रय स्वीकृत करना | रू0 10000 तक एक समय में | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का परिशिष्ट –18 का पैरा 8 तथा शासनादेश सं0 392–एस0पी0 18.7. 76– एस.पी. / 86, दिनांक 26 मई 1987 |
| 10 | सामान्य प्रयोग की वस्तुऐं, जिनके लिए कोई रेट कॉन्ट्रेक्ट नहीं है, का किसी एक कार्य के लिए किसी एक समय में क्रय स्वीकृत करना। | रू0 2500 तक एक समय में | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का परिशिष्ट –18 का पैरा 8 तथा शासनादेश सं0 392–एस0पी0 18.7. 76– एस.पी. / 86, दिनांक 26 मई 1987 |
| 11 | कार्यालय फर्नीचर / फिक्चर्स का क्रय स्वीकृत करना । | विभागाध्यक्ष द्वारा आवंटित धनराशि की सीमा तक, निश्चित माप (स्केल) के अनुसार | शासनादेश संख्या ए–2–466 / दस–85, दिनांक मार्च 19,1985 |
| 12 | मृत सरकारी कर्मचारियों के बकाया वेतन /भत्तों आदि के दावों के भुगतान स्वीकृत करना । | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के पैरा 74(बी) तथा 99 में दी गयी शर्तों के अधीन रू0 5000 की सकल धनराशि के दावों तक | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 11 का पैरा 249(ए) |
| 13 | स्वयं एवं अधीनस्थ सरकारी सेवक को स्थाानान्तरण अथवा उच्च शिक्षा / प्रशिक्षण पर जाने हेतु अग्रिम वेतन तथा यात्रा भत्ता स्वीकृत करना | वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 11 के पैरा 249 (ए) में दी गई सीमाओं और शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 11 का पैरा 249(ए) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | अपने स्वयं के दौरे अथवा अधीनस्थ अराजपत्रित/राजपत्रित सरकारी सेवकों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करना | अनुमानित यात्रा भत्ते की धनराशि के 90 प्रतिशत तक बशर्ते कि राजपत्रित अधिकारी के लिए यात्रा का व्यय की धनराशि एक समय में रू0 200 से कम होना की संभावना न हो | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का प्रस्तर 249(सी), जैसा कि यह वह वित्तीय लेखा (अनुभाग–1) के शासनादेश सं0 ए–1–233/ दस–84–15(9)–72 दिनांक 20 जनवरी 1984 द्वारा संशोधित है। |
| 15 | स्वयं अथवा अधीनस्थ सरकारी सेवकों को उपार्जित /अर्द्ध वेतन अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन अग्रिम स्वीकृत करना | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के 249 (वाई) में दी गयी सीमाओं तथा शर्तो के अनुसार पूर्ण अधिकार | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का प्रस्तर 249(वाई) जैसा कि वह शासनादेश सं0 1–864/दस–3/1(4)/65, दिनांक 30.7.81 द्वारा संशोधित है वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 का प्रस्तर 249(ई) |
| 16 | कानूनी वादों के लिए अग्रिम स्वीकृत करना | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के 249 (ई) में उल्लेखित शर्तों एवं सीमाओं के तथा इस शर्त के अधीन कि दावा दायर / विरोध करने की स्वीकृत सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त की गयी | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का प्रस्तर 249(ई) |
| 17 | अधीनस्थ कर्मचारियों को मोटर कार, मोटर बोट तथा मोटर साईकिल के अलावा वाहन के साधन की खरीद के लिए अग्रिम स्वीकृत करना | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 11 में दी हुयी सीमाओं एवं शर्तों के अधीन | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 का प्रस्तर 247 व 258 तथा शासनादेश सं0 बी–3–1942– 10–9–73 दिनांक 18 अगस्त, 1973 |
| 18 | सामान्य भविष्य निधि के अग्रिम स्वीकृत करना | अग्रिम जिसकी स्वीकृति के लिए सामान्य भविष्य निधि के पैरा 13(4) के अन्तर्गत विशेष कारण आवश्यक न हो परन्तु यह अग्रिम सीमा के लिये स्वीकृत नहीं किया जा सकता | सा0भ0नि0 का नियम 13 तथा उसका द्वितीय सूची 1 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–4, भाग–1 तथा नियम 249 |

| कर्तव्य | | | |
|---|---|---|---|
| 19 | गैर आवासीय भवनों को जिनके सरकारी उपयोग के लिए आवश्यकता न हो किराये पर देना | छः माह तक वित्तीय नियम संग्रह–5, भाग–1, पैरा 291 (घ) के अधीन | शासनादेश सं0 ए–2–1–702/ 10–14 (30)/73, दिनांक 25 अगस्त, 1973 |
| 20 | फालतू और निष्प्रयोज्य भंडार का विक्रय स्वीकृत करना (अभियंत्रण विभागों को छोड़कर) | रू0 5000 से अनाधिक मूल्य तक, इस प्रतिबंध के साथ कि फालतू भंण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से ह्रासित आर्थिक मूल्य पर किया जायेगा | शा0 सं0 ए–2–466/ दस–85, दिनांक मार्च 19, 1985 (केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिये) |
| 21 | दुर्घटनाओं, जालसाजों, असावधानी व अन्य कारणों से खोये या नष्ट हुए या क्षतिग्रस्त हुए भंडारों एवं अन्य संपत्ति (जिसके अन्तर्गत पूर्णतः नष्ट हुए स्टांपों की हानि भी सम्मिलित है) के वसूल न हो सके वाले मूल्य या खोये सरकारी धन की वसूल न हो सके वाली धनराशि को बट्टे खाते में डालना | प्रत्येक मामले में रू0 2000 तक किन्तु एक वर्ष में रू0 10000 तक टिप्पणी कार्यालयाध्यक्ष उक्त अवसूलनीय हानियों के अपलेखन के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष को भी सूचित करेंगे। | शा0 सं0 ए–2–26–2630/ 10–84, दिनांक 01 जनवरी,1985 ( केवल प्रथम श्रेणी के अधिकारी के लिय) |
| 22 | अपने कार्यालय में किसी अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी को बिल, बाउचर अथवा आदेश पर अपनी ओर से हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करना | इससे कार्यालयाध्यक्ष बिल की यर्थाथ अथवा प्राप्त धन के निस्तारण के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होंगे | वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के पैरा 47 (जी) के नीचे नोट –1 |
| 23 | अपने कार्यालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करना | यह अधिकार उन अधिकारियों के लिए लागू होंगे जिनके वेतन तथा भत्तों का आहरण उ0प्र0 पुलिस, मुख्यालय, ईलाचैक अनुभाग अथवा शिविर कार्यालय कोषागार निदेशालय से विनियमित नहीं है | शास0सं0 ए–1–32–78/10–3 (छः) –70, दिनांक 01.08.74 तथा संख्या ए–1–2830/ 10–5 (8)/76 दिनांक 24.10.1979 |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 3

लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेखों की सूचना

(The Rules, Regulationd,Instructions,Manuals, and Records, Held by it of Under its Contron or Used by its Employees for Discharging its Functions)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ

के

# लोक प्राधिकारी अथवा उसके कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख की सूचना –

## ( The rules,regulations, instructions,manuals and records, held by it of under its control or used by its employees for discharging its functions)

लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूचना –

| अभिलेख का नाम | : | अभिलेख का प्रकार – अभिलेख |
|---|---|---|
| 1.विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष स्तर के कार्यालय में अनुरक्षित रखे जाने वाले अभिलेख | : | उपस्थित पंजिका, भ्रमण पंजिका, टी0ए0बिल,चैक पंजिका, कैश बुक,कैश रसीद बुक,भण्डार पंजिका, बिल बुक, लेजर ट्रेजरी गार्ड, जी0पी0एफ0 लेजर एवं पंजिका, सेवा पुस्तिका, डाक प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिका, शासकीय टिकट पंजिका,वाहन लॉगबुक, चालान गार्डफाइल, शासन स्तर के पत्रों का निस्तारण पंजिका, बकाया पंजिका, बजट आवंटन पंजिका, व्यय विवरण पंजिका, निरीक्षण पंजिका, आगन्तुक पंजिका, इन्वैन्ट्री पंजिका, शिकायत पंजिका एवं निरीक्षण पंजिका आदि । |
| 2.जनपद के अन्तर्गत स्थापित इकाई में अनुरक्षित रखी जाने वाले अभिलेख | : | उपस्थित पंजिका, भ्रमण पंजिका, टी0ए0बिल,चैक पंजिका, कैश बुक,कैश रसीद बुक,भण्डार पंजिका, बिल बुक, लेजर (डी–22,डी052, डी–42) डाक प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिका, शासकीय टिकट पंजिका, निरीक्षण पंजिका, प्रदर्शन पंजिका, बकाया पंजिका, अग्रिम जमा पंजिका, अस्थाई निर्गमन पंजिका, राजस्व पंजिका, चालान गार्ड फाइल पंजिका, आगन्तुक पंजिका, दैनिक कार्य पंजिका, शिकायत पंजिका एवं निरीक्षण पंजिका आदि । |

उपरोक्त के अतिरिक्त राजकीय पौधालयों में उत्पादन कार्य पंजिका, हेड चौधरी सेल पंजिका,जमाव पंजिका, चक्षु आगणन पंजिका, इन्वेन्ट्री पंजिका, कार्य प्रतिभाजन पंजिका (एलोकेशन बुक)

सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं जमाव पंजिका को छोड़कर उक्तसमस्त पंजिकायें केन्द्रों पर अनुरक्षित रखी जाती हैं।इसके अतिरिक्त जॉब पंजिका तथा प्रशिक्षण पंजिका अनुरक्षित की जाती है।

| | | |
|---|---|---|
| अभिलेख का संक्षिप्त परिचय | : | समस्त अभिलेख कार्यालयाध्यक्ष स्तर से कार्यालय में अनुरक्षित रखे जाते हैं। |
| नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने हेतु पता | : | पता– जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय टकाना, पिथौरागढ़। दूरभाषः– 05964–225275 |
| नियम , विनियम , अनुदेश , निर्देशिका और अभिलेख की प्रति प्राप्त करने का शुल्क (यदि कोई हो) | : | रू0 2.00 प्रति पृष्ठ, रू0 50.00 प्रति सी.डी. / फ्लापी |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 4

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

(The particulars of any arrangement that exists for consultation with or representation by the members of the

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़
## के अधीन

नीति बनाने या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना –

( The particulars of any arrangement that exits for consultation with, or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy of implementation there of )

विभाग द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधियों की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से है व्यवस्था का विवरण निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत है–

| क्र0 सं0 | विषय / कृत्य का नाम | क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/नहीं) | जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 2 | आलू विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 3 | फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 4 | उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पटिट्यों का विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 5 | चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 6 | चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटिट्यों का समन्वित विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 7 | मशाला एवं शाकभाजी विकास की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 8 | मौनपालन विकास की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 9 | मधुमक्खी पालन | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 10 | मशाला की खेती करने की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |
| 11 | बेमौसमी सब्जी उत्पादन की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था द्वारा |

नोटः– विभागीय समस्त औद्यानिक कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं को पात्रता के अनुरूप जिला पंचायत , क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायत के माध्यम से संपादन कराया जाता है ।

## नीति के कार्यान्वयन हेतु

विभाग द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जन प्रतिनिधियों की परामर्श/भागीदारी का प्राविधान पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से है व्यवस्था का विवरण निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत है–

| क्र0 सं0 | विषय / कृत्य का नाम | क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है ? (हां/नहीं) | जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गयी व्यवस्था |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 2 | आलू विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 3 | फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 4 | उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पटिट्यों का विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 5 | चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 6 | सेवारत कर्मचारियों का औद्यानिक प्रशिक्षण | नहीं | – |
| 7 | चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटिट्यों का समन्वित विकास | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 8 | मशाला एवं शाकभाजी विकास की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 9 | मौनपालन विकास की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 10 | मधुमक्खी पालन | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 11 | मशाला की खेती करने की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 12 | बेमौसमी सब्जी उत्पादन की योजना | हॉ | पंचायती राज व्यवस्था |
| 13 | सत्ताईस राजकीय उद्यानों के सुद्ढ़ीकरण की योजना | नहीं | – |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 5

## दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गो के अनुसार

(A Statement of the Categories of Documents that are Held by it or Under its control)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़

के

## दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों (Categories) के अनुसार–

## (A statement of the categories of documents that are held by it or under its control)

जिला उद्यान अधिकारी देहरादून के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी देने हेतु निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि यह दस्तावेज कहॉ उपलब्ध रहते हैं, जैसे कि अधिकारी का नाम, सुपरवाईजर का नाम, कर्मचारी का नाम इत्यादि।

| प्रवर्ग | दस्तावेजों का नाम एवं एक पंक्ति में परिचय | दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया | धारक / नियंत्रणाधीन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1– जनपदीय, कार्यालयों में धारित अभिलेख | 1– जनपद कार्यालयों में अनुरक्षित अभिलेख :–<br>उपस्थित पंजिका, भ्रमण पंजिका, टी0ए0बिल चैक पंजिका, आकस्मिक अवकाश पंजिका, कैश बुक, कैश रसीद बुक, भण्डार पंजिका, बिल बुक लेजर ट्रेजरी गार्ड, जी0पी0एफ0 लेजर एवं पंजिका, सेवा पुस्तिका, डाक प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिका, शासकीय टिकट पंजिका, वाहन लॉगबुक, चालान गार्ड फाइल, शासन स्तर के पत्रों का निस्तारण पंजिका, बकाया पंजिका, बजट आवंटन पंजिका, व्यय विवरण पंजिका, निरीक्षण पंजिका , आगन्तुक पंजिका, इनवैन्ट्री पंजिका, शिकायत पंजिका, निरीक्षण पंजिका आदि । | सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से | जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2– जनपद के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों में अनुरक्षित अभिलेख | 2– जनपद के अन्तर्गत स्थापित इकाईयों में अनुरक्षित अभिलेखः– उपस्थित पंजिका, भ्रमण पंजिका, टी0ए0 बिल पंजिका, आ0अवकाश पंजिका, भुगतान पंजिका, कैशबुक, कैश रसीद बुक, भण्डार पंजिका, बिलबुक, लेजर (डी–11, डी–52, डी–42) डाक प्रेषण एवं प्राप्ति पंजिका शासकीय टिकट पंजिका, निरीक्षण पंजिका, प्रदर्शन पंजिका, बकाया पंजिका, अग्रिम जमा पंजिका, अस्थाई निर्गमन पंजिका, राजस्व पंजिका, चालान गार्ड फाइल पंजिका, आगन्तुक पंजिका, दैनिक कार्य पंजिका। | सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से | समस्त प्रभारी, उद्यान सचल दल केन्द्र जनपद पिथौरागढ़ |
| 3– राजकीय पौधालयों में रखे जाने वाले अभिलेख | 3– राजकीय पौधालयों में अनुरक्षित अभिलेख– उपरोक्त के अतिरिक्त उत्पादन, कार्यक्रम पंजिका, हैडचौधरी सैल पंजिका, जमाव पंजिका, चक्षु आंगणन पंजिका, इन्वेन्ट्री पंजिका कार्य प्रतिभाजन पंजिका (एलोकेशन बुक) आदि की जाती है। | सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से | समस्त उद्यान विशेषज्ञ, प्रभारी ,राजकीय पौधालय, जनपद पिथौरागढ़ |
| 4– सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों में रखे जाने वाले अभिलेख | 4– सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुरक्षित अभिलेख पौध सुरक्षा उत्पादन कार्यक्रम एवं जमाव पंजिका को छोड़कर उक्त समस्त पंजिकायें केन्द्रों पर अनुरक्षित रखी जाती हैं। इसके अतिरिक्त जॉब पंजिका तथा प्रशिक्षण पंजिका भी अनुरक्षित की जाती है। | सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय से | समस्त प्रभारी राजकीय सामुदायिक फल सरंक्षण केन्द्र, जनपद– पिथौरागढ़ |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 6

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठके जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी

(A Statement of the Boards, councils, Committees and Other Bodies Consisting of Two or More Persons Constitued as its Part or the Purpose of its Advise and as to Whether Meeting of those Boards, Councils, Committees and Other Bodies are open to the Public or the Minutes of Such Meeting are Accessible for Public)

उत्तरांचल शासन

## जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़

## के

बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण। साथ ही विवरण कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी–

( A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as part or for the purpose of its advise, and as to whether meeting of those boards, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meeting are accessible for public )

जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कोई बोर्ड, परिषद समितियॉ तथा अन्य निकाय वर्तमान में स्थापित नहीं हैं तथा विवरण निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत है :–

1– सम्बद्ध संस्था का नाम एवं पता
2– सम्बद्ध संस्था का प्रकार
(बोर्ड, परिषद, समिति,निकाय या अन्य )
3– सम्बद्ध संस्था की संक्षिप्त परिचर
(स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)
4– सम्बद्ध संस्था की भूमिका
( परामर्शदात्री/प्रबन्ध कारिणी/
कार्यकारिणी/अन्य)

5– स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य

6– मुख्य अधिकारी का नाम

7– मुख्य कार्यालय एवं अन्य शाखाओं के पते:

8– बैठक की कार्यवृत्ति

9– क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है ?:

10– क्या बैठकका कार्यवृत्त तैयार किया जाता है? :

11– क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती है? यदि हॉ तो प्रक्रिया का विवरण : कार्यरत नहीं है अतः सूचना शून्य है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 7

## लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियॉ

## ( The Name and Designations and other Particulars of the Public Information Officers)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

के

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां –

## ( The name and designations and other particulars of the Public Information Officers )

कृपया उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों , सहायक लोक सूचनाधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथोरटी के संम्बन्ध में सूचना निम्न प्रारूप में प्रस्तुत है –

लोक सूचना अधिकारी :–

| क्र0 सं0 | नाम | पदनाम | एस0टी0डी0 कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई0मेल | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 29 | डा0 नरेन्द्र कुमार | जिला उद्यान अधिकारी | 05964 | 225275 | 9412407032 | 225275 | | जिला उद्यान कार्यालय टकाना पिथौरागढ़ |

सहायक लोक सूचना अधिकारी :–

| क्र0 सं0 | नम | पदनाम | एस0टी0डी0 कोड | दूरभाष | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय | मोबाईल नं0 |
| 1 | श्री जी0एस0धपोला | ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय पिथौरागढ़ | 05964 | 225275 | 8057245152 |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

मैनुअल – 7

विकासखण्डों में तैनात लोक सूचना अधिकारी :–

| क्र0 सं0 | नम | पदनाम | विकासखण्ड | दूरभ |
|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सर्व श्री जे0जे0 त्रिपाठी | प्रभारी उद्यान सचल दल विण | विण | |
| 2 | आर0के0जोशी | प्रभारी उद्यान सचल दल मूनाकोट | मूनाकोट | |
| 3 | भगवान सिंह बोरा | प्रभारी उद्यान सचलदल, कनालीछीना | कनालीछीना | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | मनोहर दत्त बिष्ट | प्रभारी, फल संरक्षण केन्द्र, डीडीहाट | डीडीहाट | | |
| 5 | भगवान सिंह रावत | प्रभारी उद्यान सचल केन्द्र बलुवाकोट | धारचूला | | |
| 6 | हरीश लाल कोहली | ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक, मुनस्यारी | मुनस्यारी | | 9 |
| 7 | हुकुम सिंह बोरा | प्रभारी उद्यान सचल दल चौड़मन्या/बेरीनाग | बेरीनाग | | 9 |
| 8 | गिरीश चन्द्र धरियाल | प्रभारी उद्यान सचल दल गंगोलीहाट | गंगोलीहाट | | 9 |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 8

## निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)

## ( The Procedure Followed in the Decision Making Process,Including Channels of Supervision and Accountability )

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़

के

निर्णय करने की प्रक्रिया (पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित)–

(The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

❖ किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

- विभागीय मैनुअल

❖ किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है अथवा निर्णय लेने के लिये किस–किस स्तरों पर विचार किया जाता है ।

1– जनपद स्तर ।

2– विकास खण्ड स्तर ।

❖ लिये गये निर्णय को जनता तक पहुॅचाने के लिये क्या व्यवस्था है ?

- जनपद स्तर पर – जिला उद्यान अधिकारी,
- विकास खण्ड स्तर पर – प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र / विशेषज्ञ उद्यान

❖ अंतिम निर्णय लेने की प्राधिकारित अधिकारी

- निदेशक

मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत है :–

| क्र0सं0 | | |
|---|---|---|
| 1 | विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना है) | औद्यानिक समस्यायें , पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व सहित |
| 2 | दिशा निर्देश<br><br>1– जिला स्तर<br>2– विकास खण्ड स्तर | 1) उद्यान विभाग से सम्बन्धित समस्त विकास कार्य / पौध सम्बन्धी कार्यो का संचालन / निर्देशन एवं प्रशासनिक नियंत्रण। |
| | | 2) जिला उद्यान अधिकारी, द्वारा अपने जनपद से सम्बन्धित समस्त औद्यानिक विकास कार्यो का संचालन, निर्देशन एवं प्रशासन |
| | | 3) अपने क्षेत्रान्तर्गत ग्राम/पंचायत क्षेत्र सम्बन्धी औद्यानिक विकास कार्यो का संचालन/औद्यानिक फल पौधों की व्यवस्था/कीटनाशकों की व्यवस्था। |
| | | 4) अपने क्षेत्रान्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यो का संचालन / निर्देशन तथा कीटनाशक व्यवस्था सम्बन्धी समस्त कार्य। |
| | | 5) उत्तरांचल से सम्बन्धित खाद्य प्रसंस्करण,कुकरी,बेकरी कॉनफैक्शनरी तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत फल संरक्षण केन्द्रों से सम्बन्धित प्रशिक्षण/संचालन/ निर्देशन/तथा प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य। |
| | | 6) अपने फल संरक्षण केन्द्र से सम्बन्धित प्रसंस्करण/प्रशिक्षण कार्यो का उत्तरदायित्व। |
| | | 7) अपने क्षेत्रान्तर्गत मौन पालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण, उत्पादन वितरण सम्बन्धी। |
| | | 8) अपने क्षेत्रान्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यों का संचालन, निर्देशन, प्रशासन व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य। |
| | | 9) राजकीय उद्यानों/आलू उत्पादन प्रक्षेत्रों से सम्बन्धित फल पौध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, वितरण सम्बन्धी कार्य । |
| 3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया | 1) जनपद स्तर पर |
| | | 2) विकास खण्ड स्तर पर |
| | | 3) अन्य औद्यानिक केन्द्र/प्रक्षेत्रों पर |
| 4 | निर्णय लेने में शामिल अधिकारी के पद नाम | 1) जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ ।<br>2) समस्त प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र/समस्त विशेषज्ञ उद्यान।<br>3) समस्त प्रभारी फल संरक्षण केन्द्र । |
| 5 | निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना | जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ । 05964 – 225275 |
| 6 | निर्णय के विरूद्ध कहॉ और कैसे अपील करें | जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ । 05964 – 225275 |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 9

## अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

## ( A Directory of its Officers and Employees )

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़
के अधीनस्थ
अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका –
(A directory of its officers and employees)

| क्र0 सं0 | नाम सर्व श्री | पदनाम | एस0टी0डी0 कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई0 मेल | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय | मोबाईल नं0 | | | |
| 1 | डा0 नरेन्द्र कुमार | जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ | | | | | | जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़ |
| 2 | श्री जी0एस0धपोला | ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय | 05964 | 225275 | 8057245152 | 225275 | | ————,,———— |
| 3 | श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी | ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक मुख्यालय | 05964 | 225275 | | 225275 | | ————,,———— |
| 4 | पी0राम | प्रभारी फल संर0केन्द्र पिथौरागढ़ | | | 9456144151 | | | प्रभारी फल संर0केन्द्र पिथौरागढ़ |
| 5 | श्री आर0डी0पाण्डे | भण्डार निरीक्षक मुख्यालय | 05964 | 225275 | 9411574909 | 225275 | | जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़ |
| 6 | श्री बलवन्त सिंह अधिकारी | उद्यान निरीक्षक मुख्यालय | 05964 | 225275 | 9412168052 | 225275 | | जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़ |
| 7 | श्री एम0 एस0 कुँवर | उद्यान निरीक्षक मुख्यालय | 05964 | 225275 | 9411750880 | 225275 | | जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़ |
| 8 | श्री जे0जे0 त्रिपाठी | प्रभारी उद्यान सचल दल विण | | | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल विण |
| 9 | श्री चंचल सिंह | प्रभारी उद्यान सचल दल नाकोट | | | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल नाकोट |
| 9 | श्रीमती मीनाक्षी जोशी | प्रभारी उद्यान सचल दल गुरना | | | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल गुरना |
| 10 | श्री आर0के0जोशी | प्रभारी उद्यान सचल दल मड़मानले/मूनाकोट | | | 9411348995 | | | प्रभारी उद्यान सचल दल मड़मानले/मूनाकोट |
| 11 | श्री भगवान सिंह बोरा | प्रभारी राज0पौधालय एव उद्यान सचल दल कनालीछीना | | | | | | प्रभारी राज0पौधालय एव उद्यान सचल दल कनालीछीना |
| 12 | श्री महेश चन्द्र भट्ट | प्रभारी उद्यान सचल दल देवलथल | 05964 | 228325 | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल देवलथल |
| 13 | श्री भगवान सिंह रावत | प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र बलुवाकोट/खेत/पांगू | | | 9412007608 | | | प्रभारी उद्यान सचल दल बलुवाकोट |
| 14 | श्री भगवान दास | प्रभारी फल संरक्षण केन्द्र बलुवाकोट | | | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल खेत |
| 15 | श्री दयाल सिंह | प्रभारी प्रजनन उद्यान बलुवाकोट | | | | | | प्रभारी प्रजनन उद्यान बलुवाकोट |

| क्र0 सं0 | नाम सर्व श्री | पदनाम | एस0टी0डी0 कोड | दूरभाष | | फैक्स | ई0 मेल | पता |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | कार्यालय | आवास | | | |
| 16 | श्री मोहन सिंह | पर्यवेक्षक, राजकीय उद्यान भटका | | | | | | राजकीय उद्यान भटका |
| 17 | श्री धीरेन्द्र कुमार | प्रभारी उ0स0द0 डीडीहाट/दूनाकोट | | | | | | उद्यान सचलदल केन्द्र डीडीहाट/दूनाकोट |
| 18 | श्री चन्द्र प्रकाश आर्या | प्रभारी राज0पौधा0 सानदेव/डीडीहाट | | | | | | राजकीय पौंधालय सानदेव/डीडीहाट |
| 19 | श्री मनोहर दत्त बिष्ट | प्रभारी फल संरक्षण केन्द्र डीडीहाट | | | | | | फल संरक्षण केन्द्र डीडीहाट |
| 20 | श्री लीला राम | प्रभारी उद्यान सचलदल थल/संगौड़ | | | | | | उद्यान सचलदल थल/संगौड |
| 21 | श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट | प्रभारी राजकीय पौंधालय थल | | | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल संगौड़ |
| 22 | श्री हुकुम सिंह बोरा | प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बेरीनाग/चौड़मन्या एवं प्र0उ0बेरीनाग | | | | | | प्रभारी उ0स0द0 केन्द्र बेरीनाग/चौड़मन्या एवं प्र0उ0बेरीनाग |
| 23 | श्री तुलसीदास कोहली | प्रभारी उद्यान सचल दल गणाईगंगोली | | | 9411133988 | | | प्रभारी उद्यान सचल दल गणाईगंगोली |
| 24 | श्री जी0सी0 धरियाल | प्रभारी उ0स0द0 गंगोलीहाट | | | | | | प्रभारी उ0स0द0 गंगोलीहाट |
| 25 | श्री श्याम सिंह रावत | प्रभारी उद्यान सचल दल चहज/रा0प्र0उ0 गंगोलीहाट | | | | | | प्रभारी उद्यान सचल दल चहज/गंगोलीहाट |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 10

## अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

( The Monthly Rmuneration Received by each of its Officers and Employees, Including the System of Compensation as Provided in its Regulation )

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी , पिथौरागढ.
## के अधीनस्थ
## अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति –

( The monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulation )

जानकारी निम्न प्रारूप में केन्द्र / विकास खण्ड वार प्रभारी उद्यान सचल दल केन्द्र / विशेषज्ञ उद्यान / प्रभारी फल संरक्षण / प्रभारी राजकीय उद्यान

| क्र0 सं0 | नाम | पदनाम | मासिक पारिश्रमिक | पारित / पारि भत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | डा0 नरेन्द्र कुमार | जिला उद्यान अधिकारी | 15600 –39100 | अनुमन्य |
| 2 | श्री जी0एस0धपोला | ज्ये0उ0नि0 मुख्यालय | 9300–34800 | ––,, |
| 3 | श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी | ज्ये0उ0नि0 मुख्यालय | 9300–34800 | ––,, |
| 4 | श्री हरी राम | प्रभारी राज0 पौधालय विषाढ़ | 9300–34800 | ––,, |
| 5 | श्री जगजीवन त्रिपाठी | विशेषज्ञ उद्यान विण | 9300–34800 | |
| 6 | श्री पी0 राम | प्रभारी फल संरक्षण केन्द्र पिथौरागढ़ | 9300–34800 | ––,, |
| 7 | श्री रेवाधर पाण्डे | प्रभारी उद्यान सचल दल गुरना | 9300–34800 | ––,, |
| 8 | श्री आर0के0जोशी | प्रभारी उद्यान सचल दल मड़मानले | 9300–34800 | ––,, |
| 9 | श्रीमती मीनाक्षी जोशी, | पर्यवेक्षक उ0स0द0 गुरना | 5200–20200 | ––,, |
| 10 | श्री धीरेन्द्र कुमार | पर्यवेक्षक उ0स0द0 डीडीहाट / दूनाकोट | 5200–20200 | ––,, |
| 11 | श्री मनोहर दत्त बिष्ट | प्रभारी फल संरक्षण केन्द्र डीडीहाट | 9300–34800 | ––,, |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005
मैनुअल – 10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | श्री महेश चन्द्र भट्ट | प्रभारी उद्यान सचल दल देवलथल | 9300–34800 | ––,,–– | वेतन आयोग एवं शासनादेशों में विहित विधि द्वारा वेतन निर्धारण किया जाता है। |
| 13 | श्री भगवान | प्रभारी उद्यान सचल दल एवं | 9300–34800 | ––,,–– | ––,,–– |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | सिंह रावत | फल संरक्षण केन्द्र बलुवाकोट | | | |
| 14 | श्री चन्द्र प्रकाश आर्या | प्रभारी राजकीय सब्जी उत्पादन प्रक्षेत्र सानदेव | 5200–20200 | ––,,–– | ––,,–– |
| 15 | श्री गिरीश चन्द्र धरियाल | प्रभारी उद्यान सचल दल बेरीनाग | 9300–34800 | ––,,–– | ––,,–– |
| 16 | श्री श्याम सिंह रावत | विशेषज्ञ उद्यान एवं प्रभारी उद्यान सचल दल गंगोलीहाट | 9300–34800 | ––,,–– | ––,,–– |
| 17 | श्री तुलसी दास कोहली | प्रभारी उद्यान सचल दल गणाईगंगोली | 9300–34800 | ––,,–– | ––,,–– |
| 18 | श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट | प्रभारी उद्यान सचल दल संगौड़ | 9300–34800 | ––,,–– | ––,,–– |
| 19 | श्री लीला राम | प्रभारी उद्यान सचल दल थल | 5200–20200 | ––,,–– | ––,,–– |
| 20 | श्री हुकुम सिंह बोरा | प्रभारी उद्यान सचल दल चौड़मन्या | 5200–20200 | ––,,–– | ––,,–– |
| 21 | श्री चंचल सिंह | प्रभारी उद्यान सचल दल चहज | 5200–20200 | ––,,–– | ––,,–– |
| 22 | श्री मोहन सिंह कुँवर | प्रभारी उद्यान सचल दल बड़ाबे | 5200–20200 | ––,,–– | ––,,–– |
| 23 | श्री भगवानदास | प्रभारी फल संरक्षण केन्द्र बलुवाकोट | 5200–20200 | ––,,–– | ––,,–– |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 11

## अभिकरण को आवंटित बजट (योजनाओं,व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

## ( The Budget Allocated to Agency, indicating the Particulars of Plans, Proposed Expenditures and Report on Disbursement of Such Programme)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़

के

## प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट ( सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना )

( The budget allocated to each of its agency,indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and report on disbursement of such programme )

जानकारी निम्न प्रारुप में प्रस्तुत है–

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए ( वर्ष 2012–13 )

( लाख रू0 में )

| क्र0 सं0 | योजना का नाम/कार्य | कार्य प्रारम्भ होने की तिथि | कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक | प्रस्तावित बजट | अवमुक्त धनराशि मार्च 2013 तक | शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में) | कुल व्यय मार्च/2013 तक | कार्य की गुणवत्ता एवं समापन कराने के लिये जिम्मेदार अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMNEH | 01–04–12 | 31–03–13 | 70.6075 | 66.6480 | 66.6480 | 56.21735 | जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़ |
| | | योगः– | | 70.6075 | 66.6480 | 66.6480 | 56.21735 | |

# जिला उद्यान अधिकारी , पिथौरागढ.

के

## प्रत्येक अभिकरण को आंवटित बजट ( सभी योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना )

( The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and report on disbursement of such programme )

जानकारी निम्न प्रारुप में जनपदवार प्रस्तुत है–

निर्माण, विकास, तकनीकी कार्य करने वाले लोक प्राधिकरणों के लिए ( वर्ष 2012–13 )

जिला सैक्टरः– ( लाख रू0 में )

| क्र0 सं0 | योजना का नाम/कार्य | कार्य प्रारम्भ होने की तिथि | कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक | प्रस्तावित बजट (लाख रु0) | अनुमोदित बजट | शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में) | कुल व्यय मार्च/2013 तक | कार्य की गुणवत्ता एवं समापन कराने के लिये जिम्मेदार अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9111–फल सब्जियें को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना | 01–04–12 | 31–03–13 | 12.60 | 12.60 | 4.50 | 4.50 | जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़/आलू शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी |
| 2 | 9112–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री | 01–04–12 | 31–03–13 | 33.00 | 33.00 | 16.71 | 16.71 | ––,,–– |
| 3 | 0201–प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास | 01–04–12 | 31–03–13 | 6.78 | 6.78 | 4.20 | 4.20 | ––,,–– |
| 4 | 0292–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री(अ0जा0) | 01–04–12 | 31–03–13 | 12.12 | 12.12 | 4.11 | 4.11 | ––,,–– |
| | योगः– | – | – | 64.50 | 64.50 | 29.52 | 29.52 | |

राज्य सैक्टरः–

| क्र0 सं0 | योजना का नाम / कार्य | कार्य प्रारम्भ होने की तिथि | कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक | प्रस्तावित बजट (लाख रु0) | अनुमोदित बजट | शासन द्वारा प्रदत्त (किस्तों में) | कुल व्यय मार्च / 2013 तक | कार्य की गुणवत्ता एवं समापन कराने के लिये जिम्मेदार अधिकारी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0303–सत्ताईस राजकीय उद्यानो का सुदृणीकरण | 01–04–12 | 31–03–13 | 16.86 | 16.86 | 9.08 | 9.08 | जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़ / आलू शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी |
| 2 | 029–उद्यानों की घेरबाड़ / मुख्यमंत्री संरक्षित योजना | 01–04–12 | 31–03–13 | 17.626 | 13.05 | 6.91 | 6.91 | ––,,–– |
| 3 | 030–उद्यानों की घेरबाड़ / सघन बेमौसमी सब्जी उत्पादन | 01–04–12 | 31–03–13 | 11.216 | 12.216 | 0.86 | 0.86 | ––,,–– |
| 4 | 031–जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास | 01–04–12 | 31–03–13 | 24.67 | 24.67 | 13.99 | 13.99 | ––,,–– |
| | योगः– | – | – | 70.372 | 70.372 | 30.84 | 30.84 | |

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 12

## अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थी ब्यौरे सम्मिलित हैं

( The Manner of Execution of subsidy Programmes, Including the Amounts Allocated and the Details of Beneficiaries of Such Programmes )

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़
# के

## अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थी ब्यौरे सम्मिलित है–

## ( The manner of execution of subdidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programmes )

अनुदान राजसहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति –

1) कार्यक्रम / योजना का नाम –

जिला उ़द्यान अधिकारी पिथौरागढ़, उत्तरांचल के अंतर्गत अनुदान /राज्य सहायत कार्यक्रम के जिला सैक्टर सामान्य /जिला सैक्टर अनुजाति,राज्य सैक्टर सामान्य,ाज्य सैक्टर अनुसूचित के अंतर्गत 50प्रतिशत राजसहायत के आधार पर विभिन्न योजनाओं,उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उपादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पट्टियों का विकास के अंतर्गत औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राजसहायता,चयनित विकास खण्ड़ों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण,सेवारत कर्मचारियों को औद्यानिक प्रशिक्षण,फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना,अनुसूचित जाति,जनजाति के कृषकों निःशुल्क प्रदर्शन,चयनित क्षंत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का समन्वित विकास,मशाला एवं शाकभाजी विकास की योजना, मौनपालन विकास की योजना,बेमौसभी सब्बी उत्पादन की योजना आदि योजनाऐं चलाई जा रही हैं।

2) कार्यक्रम/ योजना के प्रभावी रहने समय सीमा

वित्तीय वर्ष के अंतर्गत

3) कार्यक्रम का उद्देश्य

अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य कृषकों जिनकी मालीय स्थिति कमजोर है,उन्हें राजसहायता उपलब्ध करा कर औद्यानिक कार्यक्रमों को लागू करके कृषकों, उद्यानपतियों,पुष्प उत्पादकों , सब्जी उत्पादकों आदि के आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

4) कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तरांचल के अन्तर्गत वर्ष (2011–12)में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है ।

भौतिक लक्ष्य वर्ष 2012–13

| क्र0सं0 | योजना का नाम | इकाई | लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1. | फल | | |
| | 1. फल पौध वितरण | लाख सं0 | 3.14 |
| | 2. फल पौध उत्पादन | लाख सं0 | 0.940 |
| | 3. उद्यान के अन्तर्गत आच्छादन (रेखांकन द्वारा) | हैक्टेयर | 430.00 |
| | 4. फल उत्पादन | मै0 टन | 40355 |
| 2. | सब्जी | | |
| | 1. सब्जी बीज वितरण | कुन्तल | 66.50 |
| | 2. सब्जी पौध उत्पादन | लाख सं0 | 13.00 |
| | 3. सब्जी के अन्तर्गत आच्छादन | हैक्टर | 4685 |
| | 4. सब्जी बीज उत्पादन | कुन्तल | 13.00 |
| | 5. सब्जी के अन्तर्गत आच्छादन | हैक्टेयर | 4965 |
| | 6. सब्जी उत्पादन | मै0टन | 60320 |
| | 7. आलू बीज वितरण | कुन्तल | 497 |
| | 8. आलू के अन्तर्गत आच्छादन | हैक्टेयर | 1894 |
| | 9. आलू उत्पादन | मै0टन | 47360 |
| 3 | निवेश वितरण | | |
| | 1. औद्यानिक संयंत्र वितरण | संख्या | 421 |
| | 2. अदरख बीज वितरण | कुन्तल | 54 |
| | 3. हल्दी बीज वितरण | कुन्तल | 7 |
| | 4. पुष्प बल्ब वितरण | संख्या | .. |
| | 5. उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था | हैक्टेयर | .. |
| | 6. मौनवंश वितरण | संख्या | .. |
| | 7. मौनगृह वितरण | संख्या | -- |
| 4 | प्रशिक्षण | | |
| | 1. चयनित विकासखण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण | संख्या | 147 |
| | 2. मशाला प्रदर्शन | संख्या | .. |
| | 3. मौनपालन का नियमित प्रशिक्षण | संख्या | .. |
| | 4. पुष्प उत्पादन प्रशिक्षण | संख्या | .. |
| | 5. फल संरक्षण में प्रशिक्षण | संख्या | 1057 |
| | 6. मशरूम प्रशिक्षण | संख्या | .. |
| 5 | प्रदर्शन | | |
| | 1. मशाला प्रदर्शन | संख्या | .. |
| | 2. अलंकृत बागवानी के अन्तर्गत पुष्प उत्पादन प्रदर्शन | संख्या | .. |
| | 3. निःशुल्क हाईब्रीड सब्जी बीज प्रदर्शन | संख्या | 254.60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | अन्य | इकाई | लक्ष्य |
| | 1. प्रदेश के अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास (क्षेत्र विस्तार) | हैक्टेयर | 72.00 |
| | 2. चयनित क्षेत्रों में विभिन्न/विशिष्ट फल पटिट्यों का समन्वित विकास (क्षेत्र विस्तार) | हैक्टेयर | 136.00 |
| | 3. राजकीय फल संरक्षण केन्द्रों पर फल/सब्जियों का प्रसंस्करण | कुन्तल | 351.00 |
| | 4. मौनगृह निर्माण / विक्रय | संख्या | – |
| | 5. पौध सुरक्षा कार्य | हैक्टेयर | 683 |
| | 6. कोरोगेटेड बाक्स वितरण | संख्या | – |
| | 7. मशरूम उत्पादन निजी क्षेत्र | किग्रा | – |

वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2012–13 (धनराशि लाख रूपये में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | जिला सैक्टरः– | |
| | 0201(अ)–प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास रा0स0 | 4.20 |
| | 0291(ब)–फल एवं सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना रा0स0 | – |
| | 0292(स)–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध कराने की योजना रा0स0 | 4.11 |
| | 9111– फल सब्जियों को प्रसंस्करण करने की योजना | 4.50 |
| | 9112(अ)–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन सुधार की योजना रा0स0 | 16.71 |
| | 9110(ब)–चयनित विकास खण्डों में महिला प्रशिक्षण | – |
| | 2–जिला सेक्टर नई योजना निर्माण कार्य | – |
| | योग जिला सैक्टरः– | 29.52 |
| 2 | राज्य सैक्टरः– | |
| | 1–0301–उद्यान सचल दलों का सुदृढ़ीकरण | 2.16 |
| | 2– 0303– 27 उद्यानों का सुदृढ़ीकरण | 9.08 |
| | 3– 79–603 उत्तरांचल जनजाति का विकास रा0स0 | 3.60 |
| | 4– 0210–सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन | 0.43 |
| | 5– 16–उद्यानों में घेरबाढ की योजना | 0.43 |
| | 6– 14–पुराने उद्यानों की घेरबाढ | 2.65 |
| | 7– 796–04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण | 8.62 |
| | 8– 796–21–सघन बैमौसमी सब्जी उत्पादन | 1.02 |
| | 9– 796–29–घेरबाढ की योजना | 0.75 |
| | 10–0316–मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना | 2.10 |
| | योग राज्य सैक्टर | 30.84 |

5) लाभार्थी की पात्रता

प्रदेश के समस्त काश्तकार जिनके पास औद्यानिक कार्यक्रमों के लिए भूमि उपलब्ध हो ।

6) पूर्वापेक्षायें

कृषकों के आर्थिक स्थिति में सुधार औद्यानिक विकास के माध्यम से करना।

7) अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला स्तर पर सूचनाऐं उपलबध होने पर पात्रता के अन्तर्गत आने वाले कृषकों को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर औद्यानिक कार्य करने पर राजसहायता ब्लाक स्तर पर स्थित सचल दल के माध्यमों से उपलब्ध करायी जाती है।

8) पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड

औद्यानिक कार्य में अभिरूचि रखने वाले समस्त उद्यानपतियों को जिनके पास औद्यानिक कार्य हेतु पर्याप्त भूमि तथा सिंचाई आदि के साधन उपलब्ध हैं ।

9) दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)

विभागीय योजनाओं एवं उनके अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण निम्नानुसार है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास

- उद्यान विकास (केवल अनुसूचित जाति के काश्तकारों हेतु):–

  योजनान्तर्गत फल पौध, गढढा खुदान, उर्वरक एवं कीटनाश्क पर 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। प्रति लाभार्थी 0.20 से 2.00 है0 तक रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार ) प्रति है0 की दर से अनुदान देय होगा।

आलू विकास (केवल अनुसूचित जाति के काश्तकारों हेतु):–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित अनुसूचिज जाति के कृषकों को आलू उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आलू बीज कीटनाशक रसायन तथा रसायनिक उर्वरकों पर 50 प्रतिशत राजसहायता देय है। प्रति लाभार्थी 01 से 1.00 है0 क्षेत्र में आलू उत्पादन पर रू0 20000 (रूपया बीस हजार) प्रति है0 की दर से अनुदान देय होगा ।

फल/सब्जियों को सुखकर प्रसंस्करण की योजनाः–

- फल/सब्जियों का प्रसंस्करण

  चयनित फल संरक्षण केन्द्र (जनपद) को मजदूरी सामग्री, माल सम्पूर्ति एवं अन्य मद में आवंटित धनराशि केन्द्रों के सफलतम संचालन हेतु उपलब्ध कराई गई है।

- फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बक्सों के उपयोग को प्रोत्साहन

  कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोगेटेड बक्सों के उपयोग पर 50 प्रतिशत राजसहायता देय है। एक कृषक को अधिकतम 500 बक्से अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

- रोपवे निर्माण

  कृषकों एवं उद्यानपतियों के समूह के प्रस्ताव के अनुसार आंगणन लागत पर मुख्य सब्जी उत्पादन क्षेत्रों में लगाये जायेंगे ।

❖ उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पट्टियों का विकास

- औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राजसहायता

इस कार्यक्रम में निम्न प्रकार राजसहायता प्रदान की जायेगी।

- फल पौध सब्जी बीज के परिवहन पर शत–प्रतिशत राजसहायता ।
- कीटव्याधि की रोकथाम पर 50 प्रतिशत राजसहायता ।
- औद्यानिक औजार संयंत्रों के वितरण पर 50 प्रतिशत राजसहायता ।
- आलू एवं सब्जियों की फसल पर कुरमुला कीट नियंत्रण हेतु 75 राजसहायता ।
- दीर्घ कालीन औद्यानिक ऋण के मूलधन के अन्तिम किस्त में 1/6 भाग की राजसहायता प्रदान की जायेगी ।
- आलू उत्पादन एवं परिवहन पर 100 प्रतिशत राजसहायता ।
- कृषि पुर्नवित्त निगम द्वारा वितरित ऋण पर राजसहायता के अन्तर्गत भूमि विकास बैंक द्वारा वितरित औद्यानिक ऋण के ब्याज पर निर्धारित एक्ट के अन्तर्गत ब्याज की दर से अंतर का भुगतान ।
- औद्यानिक फसलों को व्यवर्तनीकरण (अदरख, हल्दी, ग्लेडियोलाई बल्ब) पर 50 प्रतिशत राजसहाता ।

- व्यक्तिगत उद्यानों के उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.40 है0 क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु 3×2×2.5 घन मीटर आकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 5000.00 अनुदान दिया जायेगा । अधिकतम एक एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान देय होगा ।

- निजी क्षेत्र में पौधालय स्थापना हेतु प्रशिक्षण चयनित कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा एक माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। एक माह हेतु मानदेय के रूप में रू0 1500.00 प्रति कृषक दिया जायेगा।

चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत निम्न दो कार्यक्रम सम्मिलित हैं।

- चयनित विकास खण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण उत्तरांचल की महिलाओं को सब्जी व आलू उत्पादन मसाला खेती, फल उत्पादन एवं पुष्प उत्पादन तथा खाद्य प्रसंस्करण के सम्बन्ध में तकनीकि ज्ञान के उद्देश्य से चयनित विकास खण्डों में चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रत्येक चयनित विकास खण्ड में न्याय पंचायत पर 60 महिलाओं को चयनित कर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रकार एक चयनित विकास खण्ड में 60 महिलाओं को 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना है। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक महिला प्रशिक्षणार्थी को रू0 50 प्रति दिन की दर से कुल रू0 350 छात्रवृत्ति के रूप में देय होगा। चयनित विकास खण्डों की सूची निम्नानुसार है ।

  वर्ष 2012–13 में चयनित विकासखण्डों में महिला प्रशिक्षार्थियों का विवरण निम्न प्रकार है–

| क्र0सं0 | चयनित विकास खण्ड | महिलाओं की संख्या | अभ्युक्ति (प्रतिदिन छात्रवृत्ति की दर) |
|---|---|---|---|
| 1 | कनालीछीना | 60 | 50.00 प्रतिदिन |
| 2 | डीडीहाट | 60 | 50.00 प्रतिदिन |
| 3 | बेरीनाग | 60 | 50.00 प्रतिदिन |
| | योगः– | 180 | |

- सेवारत कर्मचारियों को औद्यानिक प्रशिक्षण – विभागीय कर्मचारियों को औद्यानिक तकनीकी का अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें रिफ्रेसर कोर्स की व्यवस्था औद्यानिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम (चमोली) में की गई है। इस प्रकार समस्त जिला उद्यान अधिकारी अपने जनपद से लक्ष्यानुसार कर्मचारियों को उक्त संस्थान में प्रशिक्षण हेतु भेजते हैं।

➢ चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटिट्यों का समन्वित विकास

विभिन्न फल पट्टी का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र एवं कृषकों का चयन जनप्रतिनिधियों के परामर्श से जिला उद्यान अधिकारी द्वारा किया जायेगा । प्रत्येक जनपद में चयनित क्षेत्र को लिया जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत 0.4 से 1 हैक्टर क्षेत्र में 50 प्रतिशत राजसहायता पर नवीन उद्यान स्थापित किया जाना है । जिस पर अधिकतम रू0 5000. 00 प्रति हैक्टर राजसहायता के रूप में देय होगी ।

# मशाला एवं शाक भाजी विकास की योजना

(आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी कार्यालय मुनस्यारी द्वारा सम्पादित)

- सघन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से सघन रूप से हाईब्रिड सब्जी बीज प्रदर्शन (टमाटर, बैगन, शिमलामिर्च, बन्दगोभी, फूलगोभी, भिण्डी) कराये जायेंगे। प्रति पद्रर्शन 0.10 हैक्टर क्षेत्र में आवश्यक निवेशों की अधिकतम लागत रू0 2000 प्रति प्रदर्शन अनुदान के रूप में देय होगी। कोई भी धनराशि नगद नहीं दी जायेगी।

- मशाला प्रदर्शन – सघन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से सघन रूप से इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशाले अदरक, हल्दी, लहसुन एवं बड़ी इलायची के निःशुल्क प्रदर्शन कृषकों के वहॉ कराये जायेंगे। प्रति प्रदर्शन 0.10 हैक्टर होगा। जिसकी निवेशोंपर

  निम्न प्रकार अधिकतम प्रति प्रदर्शन राजसहायता देय होगी ।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अदरख प्रदर्शन अधिकतम | रू0 2700 |
| 2. | लहसून प्रदर्शन अधिकतम | रू0 700 |
| 3. | मिर्च प्रदर्शन अधिकतम | रू0 220 |
| 4. | बड़ी इलायची प्रदर्शन अधिकतम | रू0 2000 |
| 5. | हल्दी प्रदर्शन अधिकतम | रू0 2000 |

➢ मौन पालन विकास की योजना

इस योजना के सफल संचालन हेतु मजदूरी, कार्यालय व्यय , मशीन सज्जा एवं सामग्री सम्पूर्ति मद में धनराशि व्यय की जाती है । चयनित लाभार्थियों को मौनपालन सम्बन्धी जानकारी देने के उद्देश्य से 6 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें प्रति लाभार्थी को रू0 25 प्रतिदिन की दर से कुल रू0 150 मानदेय के रूप में दिया जाता है।

➢ अधिष्ठान

इस योजनान्तर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के साथ–साथ कार्यालय सम्बन्धी व्यय सम्मिलित किये जायेंगे ।

❖ मधुमक्खी पालन

मौन पालन– इस कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु राजकीय मौन पालन केन्द्र ज्योलीकोट (नैनीताल) तथा औद्यानिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम (चमोली) में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को रू0 20 प्रतिदिन की दर से 30 दिन का रू0 600 मानदेय दिया जायेगा ।

मौन वंश एवं मौन बाक्स वितरण– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को मौन वंश सहित मौन बाक्स विभागीय दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

❖ मशाला की खेती करने की योजना

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशाले जैसे अदरक,हल्दी, मिर्च, लहसुन एवं बड़ी इलायची के प्रदर्शन कृषकों के वहॉ आयोजित किये जायेंगे। अदरख, लहसुन तथा मिर्च का प्रति प्रदर्शन 0.10 हैक्टर होगा तथा बड़ी इलायची के प्रति प्रदर्शन क्षेत्र 0.05 हैक्टर होगा । अनुदान बीज , उर्वरक, तथा पौध सुरक्षा पर 50 प्रतिशत राजसहायता के रूप में निम्न प्रकार देय होगा ।

| | |
|---|---|
| 1. अदरख प्रदर्शन | रू0 2700 |
| 2. लहसून प्रदर्शन | रू0 700 |
| 3. मिर्च प्रदर्शन | रू0 220 |
| 4. बड़ी इलायची प्रदर्शन | रू0 980 |

❖ बेमौसमी सब्जी उत्पादन की योजना

योजना के अन्तर्गत हाईब्रिड सब्जी का निःशुल्क प्रदर्शन 0.02 है0 क्षेत्र में कराया जायेगा । इसके अन्तर्गत टमाटर, बैगन, बन्दगोभी, फूलगोभी एवं सगिया मिर्च के प्रदर्शन कराये जाने हैं। जिस पर अधिकतम प्रति प्रदर्शन रू0 300 राजसहायता अनुमन्य है।

❖ सत्ताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण की योजना

❖ चयनित 27 राजकीय उद्यानों के अन्तर्गत राजकीय पौधालय विषाढ़ में उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

10) अनुदान / सहायता के वितरण की प्रक्रिया

निवेशों का वितरण ब्लाक स्तर पर उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है

11) आवेदन करने के लिये कहॉ / किससे सम्पर्क करें

ब्लॉक स्तर पर विशेषज्ञ , उद्यान सचल दल केन्द्रों पर तथा जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी ।

12) आवेदन शुल्क

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर

13) अन्य शुल्क

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर

14) आवेदन पत्र का प्रारूप

सादे कागज पर

15) संलग्नकों की सूची

आवश्यकतानुसार।

16) संलग्नकों की प्रारूप

आवश्यकतानुसार

17) प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्या होने पर कहां सम्पर्क करें

ब्लाक स्तर पर विशेषज्ञ उद्यान एवं उद्यान सचल दल केन्द्रों पर जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी ।

18) उपलब्ध धनराशि का विवरण (धनराशि हजार रू0 में) वर्ष 2012–13

| क्र0 सं0 | आहरण वितरण अधिकारी का नाम | उपलब्ध धनराशि | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अनुदान सं0 29 (आयोजनागतं) | अनुदान सं0 30 (आयोजनागतं) | अनुदान सं0 31 (टी.एस.पी.) (आयोजनागतं) |
| 1 | जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, मुनस्यारी | 3419 | 917 | 1700 |

नोट – लाभार्थियों की सूची जिला स्तर पर अनुरक्षित है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 13

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्त्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

( Particulars of Recipients of Concessions, Permits of Authorizations Granted by it )

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़
से
रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

## (Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by it )

1 ) कार्यक्रम का नाम / प्रकार

जिला सैक्टर (सामान्य)/जिला सैक्टर अनु0जाति , राज्य सैक्टर सामान्य , राज्य सैक्टर अनुसूचित के अंतर्गत 50 प्रतिशत राजसहायता के आधार पर विभिन्न योजनाओं, उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादक एवं चयनित क्षेत्रों में फल पट्टियों का विकास के अंतर्गत औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राजसहायता, चयनित विकास खण्ड़ों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण, सेवारत कर्मचारियों को औद्यानिक प्रशिक्षक, फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति के कृषकों निःशुल्क पुष्प प्रदर्शन, चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पट्टियों का समन्वित सब्जी उत्पादन की योजना आदि योजनाऐं चलाई जा रही है।

2 ) कार्यक्रम का उद्देश्य

अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य कृषको जिनकी मालीय स्थिति कमजोर है, उन्हें राजसहायता देकर औद्यानिक कार्यक्रमों को लागू करके कृषकों के आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

3 ) कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़, उत्तरांचल के अंतर्गत वर्ष 2011–12 में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है।

भौतिक लक्ष्य वर्ष 2012–13

| क्र0सं0 | योजना का नाम | इकाई | लक्ष्य |
|---|---|---|---|
| 1. | फल | | |
| | 1. फल पौध वितरण | लाख सं0 | 1.293 |
| | 2. फल पौध उत्पादन | लाख सं0 | 0.769 |
| | 3. उद्यान के अन्तर्गत आच्छादन (रेखांकन द्वारा) | हैक्टेयर | 439.25 |
| | 4. फल उत्पादन | मै0 टन | 45970 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | सब्जी | | |
| | 1. सब्जी बीज वितरण | कुन्तल | 66.50 |
| | 2. सब्जी पौध उत्पादन | लाख सं0 | 13.00 |
| | 3. उद्यान के अन्तर्गत आच्छादन (रेखांकन द्वारा) | लाख सं0 | 4685 |
| | 4. सब्जी बीज उत्पादन | कुन्तल | 13.00 |
| | 5. सब्जी के अन्तर्गत आच्छादन | हैक्टेयर | 4965 |
| | 6. सब्जी उत्पादन | मै0टन | 60320 |
| | 7. आलू बीज वितरण | कुन्तल | 497 |
| | 8. आलू के अन्तर्गत आच्छादन | हैक्टेयर | 1894 |
| | 9. आलू उत्पादन | मै0टन | 47360 |
| 3 | निवेश वितरण | | |
| | 1. औद्यानिक संयंत्र वितरण | संख्या | 421 |
| | 2. अदरख बीज वितरण | कुन्तल | 54 |
| | 3. हल्दी बीज वितरण | कुन्तल | 7 |
| | 4. पुष्प बल्ब वितरण | संख्या | .. |
| | 5. उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था | हैक्टेयर | .. |
| | 6. मौनवंश वितरण | संख्या | .. |
| | 7. मौनगृह वितरण | संख्या | -- |
| 4 | प्रशिक्षण | | |
| | 1. चयनित विकासखण्डों में महिलाओं को औद्यानिक प्रशिक्षण | संख्या | 180 |
| | 2. मशाला प्रदर्शन | संख्या | .. |
| | 3. मौनपालन का नियमित प्रशिक्षण | संख्या | .. |
| | 4. पुष्प उत्पादन प्रशिक्षण | संख्या | .. |
| | 5. फल संरक्षण में प्रशिक्षण | संख्या | 1057 |
| | 6. मशरूम प्रशिक्षण | संख्या | .. |
| 5 | प्रदर्शन | | |
| | 1. मशाला प्रदर्शन | संख्या | .. |
| | 2. अलंकृत बागवानी के अन्तर्गत पुष्प उत्पादन प्रदर्शन | संख्या | .. |
| | 3. निःशुल्क हाईब्रीड सब्जी बीज प्रदर्शन | संख्या | 254.60 |
| 6 | अन्य | | |
| | 1. प्रदेश के अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास (क्षेत्र विस्तार) | हैक्टेयर | 72.00 |
| | 2. चयनित क्षेत्रों में विभिन्न/विशिष्ट फल पटिट्यों का समन्वित विकास (क्षेत्र विस्तार) | हैक्टेयर | 136.00 |
| | 3. राजकीय फल संरक्षण केन्द्रों पर फल/सब्जियों का प्रसंस्करण | कुन्तल | 351.00 |
| | 4. पौध सुरक्षा कार्य | हैक्टेयर | 683 |
| | 5. कोरोगेटेड बाक्स वितरण | संख्या | – |

वित्तीय लक्ष्य वर्ष 2012–13

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | धनराशि |
|---|---|---|
| | जिला सैक्टरः– | |
| | 0201(अ)–प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास रा0स0 | 4.20 |
| | 0291(ब)–फल एवं सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण करने की योजना रा0स0 | – |
| | 0292(स)–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री उपलब्ध कराने की योजना रा0स0 | 4.11 |
| | 9111– फल सब्जियों को प्रसंस्करण करने की योजना | 4.50 |
| | 9112(अ)–उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन सुधार की योजना रा0स0 | 16.71 |
| | 9110(ब)–चयनित विकास खण्डों में महिला प्रशिक्षण | – |
| | 2–जिला सेक्टर नई योजना निर्माण कार्य | – |
| | योग जिला सैक्टरः– | 29.52 |
| | राज्य सैक्टरः– | |
| | 1–0301–उद्यान सचल दलों का सुदृढ़ीकरण | 2.16 |
| | 2–0303– 27 राजकीय उद्यानों का सुद्ढ़ीकरण | 9.08 |
| | 3–79–603 उत्तरांचल जनजाति का विकास रा0स0 | 3.60 |
| | 4– 0210–सघन एवं बेमौसमी सब्जी उत्पादन | 0.43 |
| | 5– 16–उद्यानों में घेरबाढ की योजना | 0.43 |
| | 6– 14–पुराने उद्यानों की घेरबाढ | 2.65 |
| | 7– 796–04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण | 8.62 |
| | 8– 796–21–सघन बैमौसमी सब्जी उत्पादन | 1.02 |
| | 9– 796–29–घेरबाढ की योजना | 0.75 |
| | 10–0316–मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना | 2.10 |
| | योग राज्य सैक्टर | 30.84 |

4) लाभार्थी की पात्रता

प्रदेश के समस्त काश्तकार जिनके पास औद्यानिक कार्यक्रमों के लिए भूमि उपलब्ध हो ं

5) पात्रता का आधार

औद्यानिक कार्य करने वाले समस्त उद्यानपतियों को जिनके पास औद्यानिक कार्य हेतु पर्याप्त भूमि तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तथा योजना में दिये गये दिशानिर्देशानुसार जो पात्रता की श्रेणी में आता है ।

6) पूर्वापेक्षायें

कृषकों के आर्थिक स्थिति औद्यानिक विकास के माध्यम सेसुनिश्चित करना।

7) अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

जिला स्तर पर सूचनाऐं उपलब्ध होने पर पात्रता के अन्तर्गत आने वाले कृषकों को निर्धारित मापदण्ड के आधार पर औद्यानिक कार्य करने पर राजसहायता ब्लाक स्तर पर स्थित सचल दल के माध्यमों से उपलब्ध कराया जाता है ।

8) रियायत, अनुज्ञा पत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिये निर्धारित समय सीमा

वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत

9) आवेदन शुल्क

गतिमान योजना में दिये गये दिशानिर्देश के अनुसार ।

10) आवेदन पत्र का प्रारूप

सादे कागज पर

11) संलग्नकों की सूची

दिशानिर्देश / आवश्यकतानुसार।

12) संलग्नकों का प्रारूप

दिशानिर्देश / आवश्यकतानुसार।

13) प्राप्तिकर्ताओं की सूची

जिला स्तर पर अनुरक्षित है।

14) रियायत के लिए निम्न जानकारी भी उपलब्ध करायें

❖ दिये जाने वाले लाभ का विवरण

विभिन्न निवेशों पर राज सहायता

❖ लाभ के वितरण की प्रकिया

ब्लाक स्तर पर उद्यान सचल दल केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 14

## कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम

## (The Norms Set by it the Discharge of its Functions)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़

## के अधीन

## कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक / नियम –

## (The norms set by it for the discharge of its functions)

कृत्यों के निर्वहन के लिए जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ में उत्तरांचल शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्थापित मानक नियम विद्यमान हैं। वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं कार्यालय मैनुअल भी प्रयोग में है।

अतः कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यकतानुसार वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं कार्यालय मैनुअल का प्रयोग किया जाता है।

विभागीय योजनाओं एवं उनके अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान/राजसहायता का विवरण निम्नानुसार है।

❖ प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में औद्यानिक विकास

जिला सेक्टर

- उद्यान विकास (केवल अनुसूचित जाति के काश्तकारों हेतु):–
  योजनान्तर्गत फल पौध, गढढा खुदान , उर्वरक एवं कीटनाशक पर 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाती है। प्रति लाभार्थी 0.20 से 2.00 है0 तक रू0 5000.00 (रू0 पांच हजार ) प्रति है0 की दर से अनुदान देय होगा।

- आलू विकास (केवल अनुसूचित जाति के काश्तकारों हेतु):–
  इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित अनुसूचिज जाति के कृषकों को आलू उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आलू बीज कीटनाशक रसायन तथा रसायनिक उर्वरकों पर 50 प्रतिशत राजसहायता देय है। प्रति लाभार्थी 01 से 1.00 है0 क्षेत्र में आलू उत्पादन पर रू0 20000 (रूपया बीस हजार) प्रति है0 की दर से अनुदान देय होगा ।

फल/सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण की योजनाः–

फल/सब्जियों का प्रसंस्करण

चयनित फल संरक्षण केन्द्र (जनपद) को मजदूरी सामग्री, माल सम्पूर्ति एवं अन्य मद मेंआवंटित धनराशि केन्द्रों के सफलतम संचालन हेतु उपलब्ध कराई गई है।

फलों की पैकिंग हेतु कोरोगेटेड बक्सों के उपयोग को प्रोत्साहन (केन्द्र पोषित एन0एच0वी0)

कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोगेटेड बक्सों के उपयोग पर 50 प्रतिशत राजसहायता दे है। एककृषक को अधिकतम 500 बक्से अनुदान पर उपलब्ध कराये जायेंगे ।

➢ रोपवे निर्माण

कृषकों एवं उद्यानपतियों के समूह के प्रस्ताव के अनुसार आंगणन लागत पर मुख्य फल सब्जी उत्पादन क्षेत्रों में लगायें जायेंगे। विकास खण्ड विण, मुनस्यारी एवं धारचूला में प्रस्तावित रोपवे की सूची ।

जनपद में स्थापित रोपवे विवरणः–

| क्र0 सं0 | स्थान से स्थान तक | अनुमानित एरियल दूरी | कलेक्शन सेन्टर | अनुमानित लागत लाख में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | थानीधार से तवाघाट | 2 कि0मी0 | तवाघाट | 16.51 |

उक्त प्रस्तावित रोपवे की सूचना अपेक्षित है। आंगणन प्राप्त होने के उपरान्त सूचना भेजी जायेगी ।

- उन्नत किस्म की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं चयनित क्षेत्रों में फल पटिट्यों का विकास

➢ औद्यानिक विकास को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न निवेशों पर राजसहायता

इस कार्यक्रम में निम्न प्रकार राजसहायता प्रदान की जायेगी ।

- फल पौध सब्जी बीज के परिवहन पर शत–प्रतिशत राजसहायता ।
- कीटव्याधि की रोकथाम पर 50 प्रतिशत राजसहायता जनपद पिथौरागढ़ के सभी विकास खण्डों में अनुमन्य है ।

- औद्यानिक औजार संयंत्रों के वितरण पर 50 प्रतिशत राजसहायता ।
- आलू उत्पादन एवं परिवहन पर 100 प्रतिशत राजसहायता ।
- औद्यानिक फसलों को व्यवर्तनीकरण (अदरख, हल्दी, ग्लेडियोलाई बल्ब) पर 50 प्रतिशत राज सहायता ।
- व्यक्तिगत उद्यानों के उन्नतशील सिंचाई व्यवस्था कार्यक्रम के अन्तर्गत 0.40 है0 क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु 3×2×2.5 घन मीटर आकार के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के निर्माण पर 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम रू0 5000.00 अनुदान दिया जायेगा। अधिकतम एक एकड़ की सिंचाई के लिए अनुदान देय होगा ।
- निजी क्षेत्र में पौधालय स्थापना हेतु प्रशिक्षण चयनित कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा एकमाह का प्रशिक्षण दिया जाता है । एक माह हेतु मानदेय के रूप में रू0 1500.00 प्रति कृषक दिया जायेगा ।

➢ सेवारत कर्मचारियों को औद्यानिक प्रशिक्षण –

विभागीय कर्मचारियों को औद्यानिक तकनीकी का अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्हें रिफ्रेसर कोर्स की व्यवस्था औद्यानिक प्रशिक्षण केन्द्र ग्वालदम (चमोली) एवं चौबटिया (रानीखेत) में की गई है । इस प्रकार जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ अपने जनपद से लक्ष्यानुसार कर्मचारियों को उक्त संस्थान में प्रशिक्षण हेतु भेजते हैं ।

➢ चयनित क्षेत्रों में विभिन्न फलों एवं फल पटिट्यों का समन्वित विकास

विभिन्न फल पट्टी का विकास कार्यक्रम अन्तर्गत क्षेत्र एवं कृषकों का चयन जनप्रतिनिधियों के परामर्श से जिला उद्यान अधिकारी द्वारा किया जायेगा । प्रत्येक जनपद में चयनित क्षेत्र को लिया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत 0.4 हैक्टर क्षेत्र में 50 प्रतिशत राजसहायता पर नवीन उद्यान स्थापित किया जाना है। जिस पर अधिकतम रू0 5000 प्रति हैक्टर राजसहायता के रूप में देय होगी ।

➢ मशाला एवं शाकभाजी विकास की योजना
(आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी कार्यालय मुनस्यारी द्वारा सम्पादित)

- सब्जी उत्पादन हेतु प्रदर्शन :– सघन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से

सघन रूप से हाईब्रिड सब्जी बीज प्रदर्शन (टमाटर, बैगन, शिमला मिर्च, बन्दगोभी, फूलगोभी, भिण्डी) कराये जायेंगे । प्रति प्रदर्शन 0.04 हैक्टर क्षेत्र में आवश्यक निवेशों की अधिकतम लागत रू0 300.00 प्रति प्रदर्शन अनुदान के रूप में देय होगी । कोई भी धनराशि नगद नहीं दी जायेगी ।

- मशाला प्रदर्शन – सघन क्षेत्र विकसित करने के उद्देश्य से सघन रूप से

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशाले अदरक, हल्दी, लहसुन एवं बड़ी इलायची के निःशुल्क प्रदर्शन कृषकों के वहॉ कराये जायेंगे । प्रति प्रदर्शन 0.10 हैक्टर होगा । जिसकी निवेशों पर निम्न प्रकार अधिकतम प्रति प्रदर्शन राजसहायता देय होगी ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | अदरख प्रदर्शन अधिकतम | रू0 | 2700 |
| 2. | लहसून प्रदर्शन अधिकतम | रू0 | 700 |
| 3. | मिर्च प्रदर्शन अधिकतम | रू0 | 220 |
| 4. | बड़ी इलायची प्रदर्शन अधिकतम | रू0 | 2000 |
| 5. | हल्दी प्रदर्शन अधिकतम | रू0 | 2000 |

➢ अधिष्ठान

इस योजनान्तर्गत काग्रत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के साथ–साथ कार्यालय सम्बन्धी व्यय सम्मिलित किये जायेंगे ।

❖ मशाला की खेती करने की योजना (आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी मुनस्यारी द्वारा सम्पादित)

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न मशाले जैसे अदरक, हल्दी, मिर्च , लहसुन एवं बड़ी इलायची के प्रदर्शन कृषकों के वहॉ आयोजित किये जायेंगे। अदरख, लहसुन तथा मिर्च का प्रति प्रदर्शन 0.10 हैक्टर होगा तथा बड़ी इलायची के प्रति प्रदर्शन क्षेत्र 0.05 हैक्टर होगा। अनुदान बीज, उर्वरक तथा पौध सुरक्षा पर 50 प्रतिशत राजसहायता के रूप में निम्न प्रकार देय होगा ।

1. अदरख प्रदर्शन अधिकतम रू0 2700
2. लहसून प्रदर्शन अधिकतम रू0 700
3. मिर्च प्रदर्शन अधिकतम रू0 220
4. बड़ी इलायची प्रदर्शन अधिकतम रू0 2000

❖ बेमौसमी सब्जी उत्पादन की योजना –

योजना के अन्तर्गत हाईब्रिड सब्जी का निःशुल्क प्रदर्शन 0.02 हैक्टर क्षेत्र मेंकराया जायेगा । इसके अन्तर्गत टमाटर, बैगन, बन्दगोभी फूल गोभी, सगिया मिर्च के प्रदर्शन कराये जाने हैं। जिस पर अधिकतम प्रति प्रदर्शन रू0 300 राजसहायता अनुमन्य है।

❖ सत्ताईस राजकीय उद्यानों का सुदृढ़ीकरण की योजना –

चयनित 27 राजकीय उद्यानों के अन्तर्गत उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जायेगा।

- 0301–27 उद्यानों का सुद्ढ़ीकरणः– इस योजनान्तर्गत राजकीय पौधालय विषाढ़ एवं राजकीय आलू बीज प्रक्षेत्र बलांती (आलू एवं शाक भाजी विकास अधिकारी मुनस्यारी के अन्तर्गत) में क्रमशः फल पौध, सब्जी बीज, सब्जी पौध एवं आलू उत्पादन के अन्तर्गत मजदूरी सिंचाई हेतु नये टैकों का निर्माण / पाइप लाईनों की मरम्मत एवं घेरबाड़ तथा सम्पर्क मार्गो को तैयार करने का प्राविधान है।

- HMNEH :– केन्द्र पोषित योजना :–

1) क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत फलदार पौधों का रोपण करने के लिये लागत का 75 प्रतिशत अनुदान सीमा रू0 22500.00 प्रति हैक्टेयर ।

2) जल श्रोतों का सृजन : एक हैक्टर औद्यानिक क्षेत्र की सिंचाई हेतु रू0 1.00 लाख प्रति टैंक जिसकी अधिकतम सीमा रू0 10.00 लाख प्रति 10 हैक्टेयर सामुदायिक क्षेत्र सिंचाई हेतु।
(भारत सरकार द्वारा दी गयी गाइडलाइन एवं निर्धारित डिजाइन के अनुसार)

3) ऑन फार्म जल प्रबन्धन :टपक सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) हेतु 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रू0 28500.00 प्रति हैक्टेयर ।

- ❖ फव्वारा सिंचाई (स्प्रिंकलर) 50 प्रतिशत अनुदान, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 15000 प्रति हैक्टेयर।
- ❖ प्लास्टिक मल्च 50 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा रू0 7000 प्रति हैक्टेयर।
- ❖ हरित गृह (ग्रीन हाउस) लागत का 40 प्रतिशत (रू0 200 प्रति वर्गमीटर के आधार पर) अधिकतम रू0 40000 जो भी कम हो। यह सुविधा 500 वर्ग मीटर क्षेत्र तक के लिए है। पुष्पों के लिए फोगिंग, तापक्रम एवं प्रकाश आदि सुविधाओं के साथ रू0 1.50 लाख प्रति 500 वर्गमीटर ग्रीन हाउस।
- ❖ शैडनेट लागत का 50 प्रतिशत या रू0 14.00 प्रति वर्ग मीटर जो भी कम हो जिसकी अधिकतम सीमा 500 वर्ग मीटर प्रति लाभार्थी ।
- ❖ पक्षी अवरोधक जाली (बर्ड प्रोटैक्शन नैट) लागत का 50 प्रतिशत या रू0 2000 प्रति हैक्टेयर जो भी कम हो।

4) ऑन फार्म हैण्डलिंग यूनिट : लागत का 30 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 50000 प्रति लाभार्थी ।

5) रोपण सामग्री का उत्पादन निजी क्षेत्र में एकीकृत बहुशस्य (मल्टीक्राप पौधशाला) :

बड़ी पौधशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 8 लाख प्रति पौधालय , छोटी पौधशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 8 लाख प्रति पौधालय, छोटी पौधाशाला के लिए लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 1.50 लाख प्रति पौधालय ।

- ❖ हर्बल गार्डन के लिए लागत का 50 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1.50 लाख।
- ❖ ऊतक संबर्धन (टिश्यू कल्चर) इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा रू0 10 लाख।

6) तकनीकी हस्तान्तरण : सात दिवसीय कृषक प्रशिक्षण हेतु प्रदेश के अन्दर रू0 1500 प्रति कृषक से बाहर रू0 2500 प्रति कृषक। प्रशिक्षकों का राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु कुल व्यय अधिकतम सीमा रू0 50000 प्रति प्रशिक्षणार्थी ।

7) जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहन (आर्गनिक फार्मिंग): रू0 10000 प्रति हैक्टेयर। प्रमाणिकता हेतु कुल व्यय का 90 प्रतिशत या रू0 5 लाख जो कम हो रूपये प्रतिवर्ष, केंचुए खाद इकाई की स्थापना हेतु रू0 30000 प्रति इकाई।

8) कृषि उपकरणों को प्रोत्साहन (एग्रीकल्चर इक्युपमैंट) : कृषक प्रशिक्षण हेतु रू0 1000 प्रति कृषक । हस्तचलित उपकरणों हेतु रू0 1500 प्रति इकाई ।

- ❖ शक्ति चालित उपकरणों (पॉवर ऑपरेटेड) हेतु जैसे कि स्प्रेयर, प्रुनिंगसा आदि रू0 5000 प्रति इकाई। पॉवर ट्रिलर हेतु रू0 45000 प्रति इकाई।
- ❖ डीजल इंजन हेतु रू0 9000 प्रति इकाई।

9) एकीकृत कीट प्रबन्धन : रू0 1000 प्रति हैक्टेयर

- ❖ निजी क्षेत्र में बायो कंट्रोल प्रयोगशाला हेतु 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू0 40 लाख प्रति इकाई ।
- ❖ कीट एवं रोगों के पूर्वासचेतक (डिजीज एंड पेस्ट फॉर कास्टिंग) इकाई स्थापना के लिए रू0 4 लाख प्रति इकाई।
- ❖ निजी क्षेत्र में प्लांट हैल्थ क्लीनिक स्थापना हेतु रू0 5 लाख प्रति इकाई।
- ❖ पत्ती विश्लेषण प्रयोगशाला निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम सीमा रू0 5 लाख प्रति इकाई।

10) मधुमक्खी विकास : लागत का 50 प्रतिशत या रू0 250 प्रति कालोनी और रू0 350 प्रति मौन बक्सा एवं सामग्री ।

11) महिला विकास : रू0 1000 प्रति महिला को पॉच दिन के प्रशिक्षण हेतु ।

- ❖ स्वयं सहायता समूह हेतु रू0 5000 प्रति महिला समूह ।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 15

## इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों

## (Details in Respect of the informantion,available to or Held by it, Reduced in an electronic Form)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी,
# पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़

के

इलैक्ट्रानिक रुप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों –

( Detailsin respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form )

जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सूचनाआं के ब्यौरे उपलब्ध कराने हेतु इलैक्ट्रानिक यंत्र उपलब्ध नहीं है। दूरभाष/ फैक्स /पलापी एवं सी.डी. से सूचनाऐं प्राप्त की जा सकती हैं। जनपद मुख्यालय पर उपलब्ध दूरभाष का न0 है–05964–225275। जनपद के अन्य अधीनस्थ कार्यालयों में दूरभाष की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अधिनस्थ इकाइयों से व्यक्तिगत सम्पर्क या पत्राचार के माध्यम से सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

# मैनुअल – 16

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष में यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका विवरण

(The Particulars of facities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

उत्तरांचल शासन

## जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

## जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़
## से

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण। किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष की यदि लोक उपयोग के लिए व्यवस्था की गई हो, तो उसका भी विवरण –

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining informations , including the working hours of a library or reading room, if maintaines for public use)

सूचनाओं को जनता तक पहुँचाने के लिए विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण

| | |
|---|---|
| ❖ पुस्तकालय | – |
| ❖ नाटक/नुक्कड़ | – |
| ❖ अखबारों के द्वारा | समय–समय पर विज्ञापनों के प्रकाशन द्वारा |
| ❖ प्रदर्शनी | विभाग द्वारा समय–समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। |
| ❖ सूचना पटल | व्यवस्था है । |
| ❖ अभिलेखों का निरीक्षण | कार्यालय समयावधि में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक किया जा सकता है। |
| ❖ दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था | निहित है। |
| ❖ उपलब्ध विभागीय मैनुअल | तैयार किया जा रहा है। |
| ❖ लोक प्राधिकरण की बेबसाइट | – |
| ❖ अन्य प्रचार प्रसार के साधन | औद्यानिकसाहित्य/पम्पलेट/लीफलेटके वितरण एवं कार्यशाला/संगोष्ठी के आयोजना द्वारा |

लीफलेट्स, पम्पलेट्स एवं ब्राउचर्स का विभाग द्वारा प्रकाशन की सूची :–

विभाग द्वारा समस्त औद्यानिक फसलों, सब्जी एवं पुष्पों के लीफलेट्स, पम्पलेट्स एवं ब्राउचर्स आदि भी तैयार कर जनता में निःशुल्क वितरित किया जाता है ।

जिन फलदार पौधों, सब्जी एवं पुष्पों आदि के लीफलेट्स, पम्पलेट्स एवं ब्राउचर्स आदि छपवाकर आम जनता में निःशुल्क वितरित किये जाते हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है :–

| क्र | फलदार वृक्ष/पौधे | सब्जी/मसाला | पुष्प | सूक्ष्मतत्व |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सेव की खेती | आलू की खेती | गेंदा की खेती | बोरॉन की कमी के लक्षण एवं उपचार |
| 2 | आड़ू की खेती | टमाटर की खेती | गुलाब की खेती की खेती | आयरन (लोहे) की कमी के लक्षण एवं उपचार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | प्लम की खेती | बैंगन की खेती | ग्लेडियोलाई की खेती | जिंक(जस्ता) कमी के लक्षण एवं उपचार |
| 4 | खुबानी की खेती | फूलगोभी की खेती | कारनेशन की खेती | कॉपर(तॉबा) की कमी के लक्षण एवं उपचार |
| 5 | नाशपाती की खेती | गॉठगोभी की खेती | गुलाब की खेती | मैगनीज की कमी के लक्षण एवं उपचार |
| 6 | अखरोट की खेती | सगियामिर्च की खेती | लिलियम की खेती | मालीब्डेनम की कमी के लक्षण एवं उपचार |
| 7 | पॉगर की खेती | फ्रैन्चबीन की खेती | ट्यूबरोज की खेती | |
| 8 | बादाम की खेती | लौकी की खेती | बैगनवेलिया की खेती | |
| 9 | हैजलनट्स की खेती | परवल की खेती | डहेलिया की खेती | |
| 10 | आम की खेती | करेला की खेती | गुलदावदी की खेती आदि | |
| 11 | अमरूद की खेती | कटहल की खेती | | |
| 12 | लीची की खेती | प्याज की खेती | | |
| 13 | अनार की खेती | लहसुन की खेती | | |
| 14 | नीबू की खेती | अदरक की खेती | | |
| 15 | ऑवला की खेती | हल्दी की खेती | | |
| 16 | मेहल की खेती | भिण्डी की खेती | | |
| 17 | गलगल की खेती | मूली की खेती | | |
| 18 | पीकननट की खेती | गाजर की खेती | | |
| 19 | अंगूर की खेती | बेजीटेबल मैरो की खेती | | |
| 20 | माल्टा की खेती | पालक की खेती | | |
| 21 | संतरा की खेती | धनिया की खेती | | |
| 22 | कीवी की खेती | मिर्च की खेती | | |
| 23 | जैतून की खेती | | | |
| 24 | चेरी की खेती | | | |
| 25 | पपीता की खेती | | | |
| 26 | बेर की खेती | | | |
| 27 | केला की खेती | | | |
| 28 | स्ट्राबेरी की खेती | | | |
| 29 | नीबू वर्गीय फलों की खेती आदि | | | |

ब्राउचर्स की सूची :–

- ❖ हार्टिकल्चर टैक्नोलॉजी मिशन
- ❖ फल संरक्षण पदार्थों आदि के
- ❖ विभिन्न केन्द्रीय योजनाऐं आदि के

नागरिकों को उद्यान विभाग से सम्बन्धित सूचना किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समयावधि में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक अवकाश दिवसों को छोड़कर उपलब्ध अधिकारियों से ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है , जो उस व्यक्ति अथवा संगठन से सम्बन्धित है ।

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

# मैनुअल – 17

## अन्य उपयोगी सूचनाऐं आदि

## (Other important information,s)

उत्तरांचल शासन

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़।

# जिला उद्यान अधिकारी, पिथौरागढ़
# की
# अन्य उपयोगी सूचनाऐं –
# ( Other important informations,s)

## जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ के प्रमुख कार्यक्रम :–

- ❖ औद्यानिक फसलों (फलों, फूलो व सब्जियों) की जलवायु आवश्यकता के अनुसार उनका रोपण कर क्षेत्रफल विस्तार ।
- ❖ हाईटैक हार्टिकल्चर के विभिन्न तकनीकों / कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार व क्रियान्वयन हेतु किसानों के प्रक्षेत्रों पर प्रदर्शन एवं गहन प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- ❖ उच्च कोटि की रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण ।
- ❖ पुराने/अलाभकारी उत्पादन देने वाले फल उद्यानों का जीर्णोद्वार।
- ❖ विस्तार कार्य के नियोजन, सूचना के सम्प्रेषण और निगरानी के लिये सूचना प्रोद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बागवानी का डेटा बेस बनाना ।
- ❖ राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय बाजार की मांग के अनुसार तथा प्रसंस्करण योग्य अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों को प्रोत्साहन।
- ❖ समन्वित नाशीजीव प्रबन्धन (आई0पी0एम0) को प्रोत्साहन ।
- ❖ समन्वित पोषण प्रबन्धन (आई0एन0एम0) को प्रोत्साहन ।
- ❖ कटाई उपरान्त प्रबन्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाना ।
- ❖ मधुमक्खी पालन, सब्जी बीज उत्पादन तथा मशला वाली फसलों को बढ़ावा।
- ❖ बागवानी फसलों के निर्यात प्रोत्साहन हेतु समस्याओं को अध्ययन कर उनका निराकरण करना
- ❖ नवीनतम व व्यावहारिक अनुसंधान उपलब्धियों पर आधारित लीफलेट, पम्पलेट, फोल्डर एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन आदि।

जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया :–

सूचना के लिए अनुरोध निम्न प्रकार करें :–

- ❖ सूचना प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति हिन्दी अथवा अंग्रेजी में लिखित रूप में या ई0मेल द्वारा अनुरोध कर सकते हैं ।सूचना का आवेदन पत्र जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधीन नियुक्त लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाएगा ।

- ❖ यदि कोई अनुरोधकर्त्ता आवेदन पत्र लिखने में असमर्थ हो तो लोक सूचना अधिकारी सहायता प्रदान करके उसके मौखिक अनुरोध को लिखित रूप में दर्ज करेंगे।
- ❖ आवेदन पत्र में कुछ आवश्यक जानकारी देना जरूरी है जिससे उस पर कार्यवाही करने में सहूलियत / आसानी हो ।

आवेदन – पत्र में उल्लेख की जाने वाली बातें निम्नवत हैं :–

- अनुरोधकर्त्ता का नाम
- पिता / पति का नाम
- पत्राचार / सम्पर्क का पूरा पता
- इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण
- आवेदन का शुल्क जमा करने का प्रमाण
- गरीबी रेखा से नीचे आय का प्रमाण ( यदि कोई हो )
- आवेदन पत्र जमा करने की तिथि
- आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क :–

सूचना निर्धारित शुल्क के भुगतान पर ही उपलब्ध कराई जायेगी ,तथापि गरीबी रेखा से नीचे के आवेदन द्वारा कोई शुल्क देय नहीं होगा ।

आवेदन शुल्क :–

सूचना के लिए अनुरोध करते समय आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क रू0 10 देय होगा । आवेदन शुल्क दिये बगैर सूचना का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन शुल्क रू0 10 प्रति आवेदन पत्र के अतिरिक्त सूचना प्राप्ति के लिए निर्धारित शुल्क निम्न प्रकार है :–

- सूचना की :–

  1) तैयार की गयी सामग्री अथवा

  2) अभिलेख की छायाप्रति देने पर A4 या A3 साईज के एक पृष्ठ का रू0 2 प्रति पेज

- बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत ।

- अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिये प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क नहीं एवं उसके पश्चात प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग हेतु शुल्क रू0 5.00
- सी.डी./फ्लापी में सूचना उपलब्ध कराने के लिये रू0 50 प्रति सी.डी./फ्लापी ।
- मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियम कीमत या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के लिए प्रति पृष्ठ रू0 2.00 ।
- सैम्पल / मॉडल की दशा में उसकी वास्तविक लागत ।

जिला उद्यान अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा उद्यानपतियों को उपलब्ध सुविधायें :–

1) फलपौधों , सब्जी बीजों एवं पौधों तथा आलू बीज तथा पौध रक्षा रसायनों के परिवहन पर शत–प्रतिशत राजसहायता ।

2) फल पौध सुरक्ष रसायनों, औद्यानिक संयंत्रों, ड्रिप तथा स्प्रिंग–कलर सिंचाई व्यवस्था, हल्दी अदरक तथा ग्लैडियोलाई की रोपण सामग्री, स्पेशल कम्पोनेण्ट प्लान के अन्तर्गत उद्यान स्थापना एवं आलू के प्रदर्शन , सेव के पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार आदि पर 50 प्रतिशत राजसहायता ।

3) प्राईवेट सैक्टर में पौधालय स्थापना हेतु काश्तकारों को औद्यानिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृति तथा 50 प्रतिशत राजसहायता पर मातृवृक्षों एवं औद्यानिक संयंत्रों को उपलब्ध कराना ।

4) विभिन्न मौसमी शाकभाजी का निःशुल्क प्रदर्शन तथा मसालों के विषय में प्रशिक्षण तथा निःशुल्क प्रदर्शन ।

5) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एपीडा, आदि संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं पर समतुल्य सहायिकी प्रदान किया जाना जिसकी अधिकतम सीमा रू0 20 लाख है ।

# जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय पिथौरागढ़ के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों सूची

| क्र0 सं0 | इकाई का नाम | श्रेणी / पद | स्वीकृत पद की संख्या | कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय,मुख्यालय पिथौरागढ़ | जिला उद्यान अधिकारी | 01 | डा0 नरेन्द्र कुमार |
| | | ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक | 06 | 1–श्री जी0एस0धपोला<br>2–श्री बिजेन्द्र सिंह चौधरी |
| | | आशुलिपिक | 01 | – |
| | | लेखाकार | 02 | – |
| | | प्रशा0अ0ग्रेड–2 | 01 | श्री बी0एस0कार्की |
| | | प्रधान सहायक | 01 | श्री के. सी.पन्त |
| | | प्रवर सहायक | 04 | 1–श्री जीवन सिंह अधिकारी<br>2–श्री आर0 एस0 बिष्ट<br>3–योगेश चन्द्र तिवारी |
| | | कनिष्ठ सहायक | 05 | 1–श्री बी0एस0कन्याल,<br>2–पीताम्बर दत्त भट्ट<br>3–कु0 कमला वर्मा |
| | | पर्यवेक्षक वर्ग–3 | 01 | – |
| | | चालक | 01 | श्री नरेन्द्र सिंह |
| | | चतुर्थ श्रेणी | 10 | श्री मदन लाल<br>श्री करन सिह<br>श्री त्रिलोक सिंह<br>श्रीमती मोहनी देवी<br>श्री मुकेश कुमार<br>श्री हीरा सिंह<br>श्रीमती जयमती देवी<br>उमेश सिंह<br>श्रीमती आनन्दी देवी |
| 2 | उद्यान सचल दल विण | वर्ग–2 | 02 | श्री जग जीवन त्रिपाठी |
| | | वर्ग–3 | 01 | – |
| | | माली वर्ग–4 | 05 | श्री कालूराम<br>श्रीमती सरस्वती देवी<br>श्री गोविन्द सिंह<br>श्री अर्जुन नाथ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | उद्यान सचल दल नाकोट | वर्ग–2 | 01 | श्री अरुण कुमार पाण्डे |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री योगेश चन्द्र<br>श्री प्रताप नाथ<br>श्री नवीन राम<br>श्री गणेश राम |
| 4 | उद्यान सचल दल गुरना | वर्ग–2 | 01 | श्री रेवाधर पाण्डे |
| | | वर्ग–3 | 01 | श्रीमती मीनाक्षी जोशी |
| | | माली वर्ग–4 | 02 | श्री भीम सिंह<br>श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी |
| 5 | रा0पौ0विषाढ़ | वर्ग–1 | 01 | – |
| | | वर्ग–2 | 01 | श्री हरी राम |
| | | वर्ग–3 | 01 | – |
| | | हैड चौधरी वर्ग–4 | 01 | – |
| | | माली वर्ग–4 | 10 | श्री महेन्द्र गिरी<br>श्री लक्ष्मण राम<br>श्री दीवानी राम<br>श्री मोहन राम<br>श्री शंकर लाल<br>श्री कृष्ण राम<br>श्री देवराज<br>श्री देवीदत्त जोशी<br>श्री गणेश सिंह बोरा<br>श्री इस्लाम अहमद |
| 6 | फल संरक्षण केन्द्र पिथौरागढ | वर्ग–2 | 01 | श्री मनोहर दत्त बिष्ट |
| | | कामदार वर्ग–4 | 02 | श्रीमती आनन्दी देवी<br>श्री बच्ची सिंह |
| 7 | उद्यान सचल दल मूनाकोट | वर्ग–2 | 02 | श्री बलवन्त सिंह अधिकारी |
| | | वर्ग–3 | 01 | श्री चंचल सिंह |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री खुशाल सिंह<br>श्री हर्षवर्धन,<br>श्री केशर राम,<br>श्रीमती भागीरथी देवी |
| 8 | उद्यान सचल दल मडमानले | वर्ग–2 | 01 | – |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री त्रिलोक सिंह<br>श्री नारायण दत्त |
| 9 | उद्यान सचल दल कनालीछीना | वर्ग–2 | 01 | श्री मोहन सिंह |
| | | वर्ग–3 | 01 | श्री भगवान सिंह |
| | | माली वर्ग–4 | 03 | श्री प्रेम सिंह<br>श्री गणेश राम |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | उद्यान सचल दल देवलथल | वर्ग–3 | 02 | श्री महेश चन्द्र<br>श्री राज किशोर जोशी |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री मदन लाल<br>श्री पूरन राम |
| 11 | उद्यान सचल दल अस्कोट | वर्ग–3 | 02 | श्री जगदीश चन्द्र<br>पद रिक्त |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री भाष्कर दत्त<br>श्री बाला सिंह<br>श्रीमती मोहनी देवी |
| 12 | रा0पौधालय कनालीछीना | वर्ग–3 | 01 | – |
| | | हैड चौधरी वर्ग–4 | 01 | – |
| | | माली वर्ग–4 | 03 | श्री गोवर्धन जोशी<br>श्री रमेश कुमार |
| 13 | उद्यान सचल दल बेरीनाग | वर्ग–2 | 02 | श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट |
| | | वर्ग–3 | 01 | श्री हुकुम सिंह |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री चन्द्रमणि पाठक<br>श्री नेत्र सिंह |
| 14 | स0द0के0संगौड | वर्ग–3 | 02 | –<br>श्री लीला राम |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री शमशेर सिंह |
| 15 | रा0 पौधालय थल | वर्ग–2 | 01 | – |
| | | हैड चौधरी वर्ग–4 | 01 | – |
| | | माली वर्ग–4 | 05 | श्री गणेश चन्द्र द्विवेदी<br>श्री खीम सिंह<br>श्री कमलेश तिवारी<br>श्रीमती पार्वती देवी<br>श्रीमती हेमा भट्ट |
| 16 | उद्यान सचल दल गंगोलीहाट | वर्ग–2 | 02 | श्री गिरीश चन्द्र धरियाल |
| | | वर्ग–3 | 01 | – |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री बहादुर सिंह<br>श्री दुर्गाराम<br>श्री ठाकुर दत्त |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | उद्यान सचल दल गंणाई | वर्ग–2 | 01 | श्री तुलसीदास |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री मनोज कुमार |
| 18 | उद्यान सचल दल डीडीहाट | वर्ग–2 | 01 | पद रिक्त |
| | | वर्ग–3 | 01 | श्री धीरेन्द्र कुमार |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री गोकर्ण सिंह<br>श्री कैलाश सिंह |
| 19 | रा0उ0सानदेव | वर्ग–1 | 01 | पद रिक्त |
| | | वर्ग–3 | 02 | श्री सी0पी0आर्या |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री प्रेम सिंह<br>श्री तुला राम<br>श्री कुण्डल गिरी<br>श्री शमशेर लाल |
| 20 | फल संरक्षण डीडीहाट | वर्ग–1 | 01 | श्री प्रताप राम |
| | | वर्ग–2 | 01 | पद रिक्त |
| | | वर्ग–3 | 01 | पद रिक्त |
| | | कामदार<br>वर्ग–4 | 03 | श्री भूपेन्द्र सिंह<br>श्रीमती तुलसी देवी<br>श्रीमती द्रोपती देवी |
| 21 | उद्यान सचल दल<br>बलुवाकोट | वर्ग–2 | 02 | श्री भगवान सिंह<br>पद रिक्त |
| | | वर्ग–3 | 01 | पद रिक्त |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री दिनेश कुमार<br>श्री अर्जुन सिंह |
| 22 | उद्यान सचल दल खेत | वर्ग–2 | 01 | पद रिक्त |
| | | वर्ग–3 | 01 | पद रिक्त |
| | | माली वर्ग–4 | 06 | पद रिक्त<br>श्री देब सिंह<br>श्री देवेन्द्र सिंह |
| 23 | उद्यान सचल दल पॉगू | वर्ग–3 | 02 | श्री मोहन सिंह |
| | | माली वर्ग–4 | 04 | श्री अर्जुन सिंह |
| | | | | श्री होशियार सिंह |
| 24 | फ0सं0के0बलुवाकोट | वर्ग–2 | 01 | श्री भगवान दास |
| | | कामदार<br>वर्ग–4 | 02 | श्रीमती परूली देवी<br>श्री नारायण सिंह |
| 25 | मौन पालन केन्द्र भटका | वर्ग–3 | 01 | पद रिक्त |
| 26 | राजकीय प्र0उ0 गंगोलीहाट | वर्ग–3 | 01 | श्री श्याम सिंह रावत |
| 27 | राजकीय प्र0उ0 बलुवाकोट | वर्ग–3 | 01 | श्री दयाल सिंह |
| | | वर्ग–4 | 03 | श्री मोहन सिंह |
| | | | | श्री विशन राम |
| | | | | श्री दधमल सिंह |
| 28 | राजकीय प्र0उ0 बेरीनाग | वर्ग–4 | 03 | श्री महेश सिंह<br>श्री लक्ष्मीदत्त पन्त |
| 29 | राजकीय प्र0उ0डीडीहाट | वर्ग–3 | 01 | श्री नारायण सिंह |
| | | वर्ग–4 | 03 | श्री त्रिलोक सिंह |
| | | | | श्री इन्द्र सिंह |

*मृतक आाश्रित के तहत अधिसंख्यक पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का विवरण*

| *1–लिपिक संर्वग – 3050–4590* | *उपस्थिति की तिथि* | *इकाई/केन्द्र का नाम जहॉ कार्यरतहै* |
|---|---|---|
| 1– श्री प्रहलाद सिंह बिष्ट | | जिला उद्यान कार्यालय |
| 2– श्री हेमन्त कुमार जोशी | 10.8.99 | पिथौरागढ़। |
| 3– श्री गणेश सिंह सौन | | |
| 4– श्रीमती गीता जोशी | 7.2.11 | |
| 5– श्री नारायण सिंह बिष्ट | 1–06–2012 | |
| 6– श्री मुकेश चन्द्र उपाध्याय | | |
| 7– श्री रोहित कुमार उप्रेती | | |
| चपरासी/परिचर/कामदार चतुर्थश्रेणी | | |
| 1–श्रीमती द्रोपती देवी | 5–10–2002 | रा0पौ0थल |
| 2–श्री नारायण सिंह धामी | 24–10–2002 | उ0स0द0खेंत |
| 3–श्रीमती हेमा भटट | 17–2–2003 | रा0पौ0विषाढ़ |
| 4–श्री कवीन्द्र सिंह | 07–12–2004 | उद्यान सचल दल कनालीछीना |
| 5–श्रीमती पुष्पा देवी | 24–12–2004 | राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्र बलुवाकोट |
| 6–श्री हरीश सिंह, | 19–2–2005 | फल संरक्षण केन्द्र पिथौरागढ़ |
| 7–श्री उमेशचन्द्र उप्रेती | | उ0स0द0मूनाकोट |
| 8–श्री हेम चन्द्र पाटनी | | रा0फ0सं0के0डीडीहाट |
| 9–श्री त्रिलोक सिंह भण्डारी | | उ0स0द0कनालीछीना |
| 10–श्री मनोज कुमार | | उ0स0द0बड़ाबे |
| 11–श्री राकेश पाठक | | उ0स0द0गणाई गंगोली |
| 12–श्री मनोज कुमार पाण्डे | | |
| 13–श्री गोर्कण सिंह | | |
| 14–श्री महेन्द्र सिंह | | |

जिला उद्यान अधिकारी,
पिथौरागढ़।